


युग परिवर्तन की पृष्ठभूमि और स्पर्शरेखा



— श्रीराम शर्मा आचार्य

युग परिवर्तन की पृष्ठभूमि और रूपरेखा

लेखक :

वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पं० श्रीराम शर्मा आचार्य

प्रकाशक :

युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट

गायत्री तपोभूमि, मथुरा

फोन : (०५६५) २५३०१२८, २५३०३९९

मो. ०९९२७०८६२८७, ०९९२७०८६२८९

फैक्स नं०- २५३०२००

पुनरावृत्ति सन् २०१०

मूल्य : १२.०० रुपये

विषय-सूची

१. उल्टे को उलटकर सीधा करें	३
२. नव निर्माण के लिए क्या करें ? कैसे करें ?	७
३. आधार—लोकशक्ति का जागरण	१३
४. विचारक्रांति के उपयुक्त साहित्य	१६
५. लोकरंजन और लोकमंगल का समन्वय	२७
६. श्रद्धा सद्भावना का संवर्धन—धर्मतंत्र के सहारे	३७
७. नव निर्माण की पाँच प्रमुख संरचनाएँ	४५

आज की परिस्थितियों में सभी परिवर्तन चाहते हैं। अभावों के स्थान पर संपन्नता, अनिश्चितता के स्थान पर स्थिरता, आशंकाओं के स्थान पर आश्वासन अभीष्ट है। द्वेष का स्थान श्रद्धा को मिले—अविश्वास और आशंका की जड़ ही कट जाय। ऐसी मुखर परिस्थितियों की कल्पना करने भर से आँखें चमकने लगती हैं।

मुद्रक

युग निर्माण योजना प्रेस

गायत्री तपोभूमि, मथुरा

फोन (०५६५) २५३०९२८, २५३०३९९

युग परिवर्तन की पृष्ठभूमि और रूपरेखा

✱

उल्टे को उलटकर सीधा करें

सुविधा-साधनों की दृष्टि से हम पूर्वजों की तुलना में कहीं आगे हैं। विज्ञान और बुद्धिवाद की संयुक्त प्रगति ने अनेकानेक साधन ऐसे प्रस्तुत किये हैं, जिनकी सहायता से अपेक्षाकृत अधिक सुखी जीवन जी सकते हैं। पूर्वजों को शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, संचार, यातायात, बिजली, तार, डाक, जहाज आदि अनेकों ऐसे सुविधा-साधन उपलब्ध नहीं थे, जैसे आज हैं। उन उपलब्धियों के आधार पर हमें अधिक सुखी होना चाहिए था, पर देखते हैं कि स्थिति और भी गई-गुजरी हो गई है। चिकित्सा और पौष्टिक खाद्यों की सुविधा वाले भी दिन-दिन दुर्बल और रुग्ण बनते जाते हैं। उच्च शिक्षित व्यक्ति भी संतुलन और विवेक से रहित चिंतन करते और विक्षुब्ध रहते देखे जाते हैं। गरीबों का उठाईगीरी करना समझ में आ सकता है, पर जो संपन्न हैं वे क्यों अन्याय-अपहरण की नीति अपनाते हैं, यह समझ सकना कठिन है।

जीवन का रस धीरे-धीरे घटता जा रहा है और लगता है सर्वत्र निरर्थक जैसा ही कुछ भरा पड़ा है। बाहर से कई लोग अपने बड़प्पन की डींगें भी हाँकते देखे जाते हैं, पर भीतर के क्षेत्र में उत्साहरहित एवं भारभूत अवसाद छाया दीखता है। प्रायः लोग उदास रहते और अपने को असहाय अनुभव करते देखे जाते हैं, दीनता और निराशा से ग्रसित—खीजते-झल्लाते लोगों का ही बाहुल्य है। हँसते-हँसाते, खिलते-खिलाते तो बहुत कम ही पाये जाते

हैं। एकाकीपन की असहाय मनःस्थिति में ऐसा ही प्रतीत होता रहता है कि “कोई हमारा नहीं—हम किसी के नहीं।”

शिष्टाचार और आडंबर तो बढ़ा, पर आत्मीयता और शालीनता की जड़ें खोखली होती जा रही हैं। चिंतन और चरित्र के अवमूल्यन ने व्यक्ति और समाज के सामने असंख्य समस्याएँ उत्पन्न कर दी हैं। उपलब्ध क्षमताओं का एवं साधनों के एक बड़े भाग का उपयोग करने तथा उससे बचने की योजना पर ही खर्च होता रहता है। रचनात्मक कार्यों में लग सकने वाले साधन समस्याओं के कारण उत्पन्न उद्विग्नता में ही खप जाते हैं, फिर भी कोई समाधान दीखता नहीं। एक उलझन सुलझने नहीं पाती कि दूसरी नई उठकर खड़ी हो जाती है। लोग चिंतित, खिन्न एवं असंतुष्ट ही दीखते हैं। उन्हें अपने चारों ओर अशुभ संभावनाओं की ही आशंकाएँ काली घटाओं की तरह घिरी हुई प्रतीत होती है। आत्मीयता और सद्भावना के तत्त्व बुरी तरह घट गये हैं। मैत्री के नाम पर फुसलाने और स्वार्थ सिद्ध करने की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है कि मैत्री के लिए एक हाथ बढ़ाते समय दूसरा विश्वासघात की आशंका से काँपने लगता है। आदमी अपनी ही दृष्टि में धिनौना बनता जा रहा है तो फिर दूसरों से श्रद्धा, सम्मान, सद्भाव एवं सहयोग की अपेक्षा कैसे की जाय ?

एक ओर सुविधा-साधनों की अभिवृद्धि, दूसरी ओर व्यक्तिगत जीवन में सर्वभक्षी अवसाद। इन विसंगतियों का कारण ढूँढ़ने पर पता चलता है कि दृष्टिकोण में बढ़ती हुई संकीर्ण स्वार्थपरता ही इन विपत्तियों की जड़ है। अनियंत्रित वासना-तृष्णा और अहंता की ललकें जितनी तृप्त की जाती हैं, आग में घी पड़ने की तरह वे उतनी ही और भड़कती हैं। इनकी उग्रता औचित्य और विवेक को तूफान की तरह उठाकर फेंक देती है। अपराधों की यह पृष्ठभूमि है। आतुर स्वार्थघता दूसरों का दुःख-दर्द समझने की कोमलता को समाप्त कर देती है और ऐसे कुकर्म करने के लिए विवश करती है; जिन्हें चोरी, ठगी, हत्या, बेईमानी, बदमाशी आदि नामों से पुकारा जाता है।

दृष्टिकोण की विकृति-व्यवहार में उतरकर दुश्चरित्रता के रूप में प्रकट होती है। समाज में उसी की परिणति अनेकानेक भ्रष्टताओं, अवांछनीयताओं, दुष्प्रवृत्तियों का रूप धारण करती है। फलतः परस्पर विद्रोह का, शोषण-उत्पीड़न का कुचक्र चल पड़ता है। आक्रमण-प्रत्याक्रमण का, प्रतिशोध के घात-प्रतिघात की क्रिया-प्रक्रिया का दौर चलता है और विनाशकारी आत्मघाती दृश्य उपस्थित हो जाते हैं। दुर्बुद्धि का कुचक्र व्यक्ति और समाज को सर्वनाश के गर्त में गिराने के लिए बलपूर्वक घसीटे लिये जा रहा है। विश्व भर में आशंका और आतंक का वातावरण छाया हुआ है। अणु अस्त्रों की अभिवृद्धि, अनियंत्रित प्रजनन और अविश्वास का वातावरण एक-दूसरे को गिराने के दाँव-घात इन सबकी प्रतिक्रिया विनाशकारी ही हो सकती है। लगता है दुनिया सामूहिक आत्म हत्या करने की दिशा में बढ़ती जा रही है। जिंदगी इतनी भारी होती जा रही है कि उसकी लाश ढोने में मनुष्य अपने आपको बेतरह थका हुआ अनुभव करता है। नींद की गोलियाँ और नशेबाजी की लत इसी तनाव से बचने के लिये प्रयुक्त होती है। उनकी अंधाधुंध बाढ़ आने पर भी राहत मिल नहीं रही है।

यह तो नहीं कहा जा सकता कि मात्र अवांछनीयता ही सर्वत्र भरी पड़ी है, सज्जनता की परंपराओं का अंत हो गया, पर व्यापक परिस्थितियों पर दृष्टिपात करने से यही निष्कर्ष निकलता है कि नीति-मर्यादा तेजी से घट रही है और अवांछनीयता का आधिपत्य बेतरह बढ़ रहा है। यही क्रम चलता रहा तो क्रमशः विपत्तियाँ बढ़ती जायेंगी। चरण रुके नहीं तो विनाश के ऐसे दलदल में जा फँसेंगे जिसमें से लौटना कठिन हो जावेगा।

हम जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं। क्रियाकलाप के फलस्वरूप ही परिस्थितियों का निर्माण होता है। चेचक की फुन्सियों पर कहाँ तक पट्टियाँ बाँधी जाँय ? काम तो रक्त-शोधन से चलता है। हर कुम्हलाए पत्ते पर छिड़काव कैसे बन पड़ेगा ? उपचार तो जड़ में पानी देने से बन पड़ेगा। मच्छरों को क्यों कर पकड़ें और मारें ? बात तो गंदगी साफ करने से बनेगी। विषम परिस्थितियों के मूल में

काम करने वाली विकृत मन-स्थिति को ही सुधारना पड़ेगा; अन्यथा एक समस्या का उपचार होने से पूर्व ही नई दस समस्यायें और उठ खड़ी होंगी। कहते हैं कि रावण का एक सिर कटता था तो नया सिर उपज आता था। रक्तबीज राक्षस को मारने पर उसके रक्त के धरती पर पड़ते ही नया राक्षस पैदा होता था। अंततः रामचंद्रजी को रावण की नाभि में भरा अमृतघट बेधना पड़ा था और दुर्गा को रक्तबीज से निपटने के लिये उसकी मूल विशेषता को निरस्त करना पड़ा था। हमें भी युग समस्याओं का आत्यंतिक समाधान ढूँढ़ने के लिए उनकी जड़ तक जाना पड़ेगा और उसी स्रोत को बंद करना पड़ेगा—जहाँ से यह विषधारा फूटती है और उस क्षेत्र को विषाक्त करती है। आज की समस्याओं का हल एक ही है कि लोकमानस में जड़ जमाये हुए निकृष्ट स्वार्थपरता को निरस्त करके चरित्रनिष्ठा की उच्चस्तरीय आस्थाओं की जड़ें गहराई तक जमाई जाएँ।

समाजनिष्ठा भी चरित्रनिष्ठा का ही एक पक्ष है। व्यक्तिगत चिंतन दृष्टिकोण की, गुण, कर्म, स्वभाव की चर्चा-विवेचना करते समय जो उत्कृष्टता चरित्रनिष्ठा की कही जाती है, उसी को दूसरों के साथ व्यवहार में आने पर समाजनिष्ठा का नाम दिया जाता है।

भ्रष्ट-परंपरायें दुष्ट लोगों के दुस्साहस के कारण ही चल पड़ी हैं। शक्ति-दुष्टता में नहीं सक्रियता और तत्परता में होती है। उसे दुष्ट ने दुष्टता के लिए प्रयुक्त किया और वातावरण बिगाड़ कर रख दिया। अब सज्जनता की बारी है। वह उठे। शालीनता के संवर्धन में अपने प्रयास को और भी अधिक प्रबल करे। संकल्प और प्रयत्न की समन्वित शक्ति में वातावरण बनाने की प्रचंड सामर्थ्य मौजूद है। दुष्टता को यह संबल मिला तो वह विनाशकारी विभीषिकाओं का रूप धारण कर सकने में सफल हुई। सज्जनता को इस प्रतिस्पर्धा में पीछे नहीं रहना चाहिए। अंधकार से जूझने और प्रकाश का विस्तार करने की दुहरी भूमिका निभानी चाहिए।

आज की परिस्थितियों का स्वरूप और तदनुसार कल की संभावनाओं का जो चित्र सामने है, उससे कोई भी संतुष्ट नहीं।

सभी इसमें परिवर्तन चाहते हैं। अभावों के स्थान पर संपन्नता, अनिश्चितता के स्थान पर स्थिरता, आशंकाओं के स्थान पर आश्वासन अभीष्ट है। आये दिन की समस्याओं और विपत्तियों से घिरे रहने में किसी को प्रसन्नता नहीं। द्वेष का स्थान प्रेम को मिले, एक-दूसरे को काटने के स्थान पर सहयोगपूर्वक आगे बढ़ाएँ तो कैसा अच्छा हो ? प्रकृति की संपदाओं का सभी मिल-जुलकर उपभोग करें, बाँटकर खायें तो सभी को चैन से निर्वाह करने का अवसर मिले। साधन और भी अधिक बढ़ें—यह अच्छी बात है, पर जो है उनका तो सदुपयोग हो। यदि एक-दूसरे को अपनी शालीनता से आश्वस्त कर दें तो फिर अविश्वास और आशंका की जड़ ही कट जाय और स्नेह सहयोग के नये आधार उभरें। सुरक्षा के लिये जितना चिंतित रहना पड़ता है, उसके लिये जितना प्रयत्न और प्रबंध करना पड़ता है, उसकी कुछ भी आवश्यकता न रहे। ऐसे सुंदर वातावरण की कल्पना करने भर से आँखें चमकने लगती हैं। सतयुग का रामराज का जब वर्णन पढ़ते हैं तो मन मचलता है और उत्कंठा उठती है कि ऐसे ही समय में जीवनयापन कर सकने का अवसर हमें भी मिल सका होता तो कितना आनंद होता ?

नव निर्माण के लिए क्या करें ? कैसे करें ?

वर्तमान की अवांछनीयताओं से निपटने और भविष्य को उज्ज्वल बनाने के दोनों ही उद्देश्य विचारक्रांति अभियान से संभव होंगे। लाल मशाल ने इसी का प्रकाश फैलाने, वातावरण बनाने और भ्रांतियों की लंका को जलाने में हनुमान् की जलती पूँछ बनने का निश्चय किया है।

अगले दिनों जनमानस में न्याय, विवेक, औचित्य एवं आदर्श की समन्वित दूरदर्शिता जाग्रत् करनी है। इसके लिये तीन प्रकार के क्रियाकलाप अपनाने की आवश्यकता पड़ेगी—(१) प्रचारात्मक (२) रचनात्मक (३) सुधारात्मक। तीनों के समन्वित प्रयत्न से ही अभीष्ट उद्देश्यों की पूर्ति संभव हो सकेगी।

१. प्रचारात्मक

प्रचारात्मक उपाय वे होंगे, जिनसे लोगों को विकृत-भावनाओं से उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों को समझने का अवसर मिले। इन दिनों एक भ्रांति बहुत गहराई तक जनमानस में जड़ जमाकर बैठ गई है कि—“व्यक्तिवादी स्वार्थपरता अपनाने में ही लाभ है। समूह हित की बात सोचने पर अपने को घाटा पड़ेगा। ऊँचे सिद्धांत कहने-सुनने भर के लिये हैं, उन्हें जीवन क्रम में उतारना न तो व्यावहारिक है और न लाभदायक। व्यक्तिगत लाभ में निरत रहकर अधिक सुखी बना जा सकता है। समूह सुख की दिशा में बढ़ने से तो अपने आनंद और वैभव में कमी पड़ने लगेगी।” बाहर से कोई कुछ भी कहता है, अंतरंग में यही आस्थाएँ जड़ जमाये बैठी रहती हैं। फलतः आदर्शवादी कल्पनाएँ तो कई व्यक्ति करते रहते हैं। वैसा कुछ कहते-सुनते भी रहते हैं, पर करने का साहस जुटा नहीं पाते, क्योंकि अंतरंग की आस्थाएँ इस संदर्भ में अत्यंत शिथिल होती हैं। स्वार्थ को ही जब आंतरिक मान्यता मिली हुई है तो परमार्थ के लिए प्रवाह को उलटकर चलने वाला साहस कैसे उत्पन्न हो ? यही है वह कठिनाई जिसे मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, दार्शनिक अथवा जो भी नाम दिया जाए, प्रगति के पथ की सबसे बड़ी बाधा बनकर बैठी है।

युग प्रवाह बदलने जैसे परिवर्तनों के लिए ऐसे प्रखर लोक शिक्षण की आवश्यकता पड़ेगी, जो आस्थाओं के मर्म स्थल तक पहुँचकर वहाँ अभीष्ट उथल-पुथल उत्पन्न कर सके। घिसी-पिटी सिद्धांतवादी चर्चा को तोता रटत की तरह दुहराते रहना व्यर्थ है। तर्क और तथ्यों को आधार मानकर हमें युग चिंतन इस स्तर का देना होगा, जो आज की विकृत आस्थाओं को उखाड़कर फेंक सके और उसके स्थान पर उत्कृष्टता के लाभों को मान्यता दिला सकें। यह कठिन नहीं—सरल है, क्योंकि वास्तविकता यही है। यदि लोक शिक्षण की ऐसी पैनी व्यवस्था बन सके तो युग परिवर्तन का तीन-चौथाई उद्देश्य पूरा हुआ समझा जा सकता है। इस प्रशिक्षण से न केवल बुद्धि को वरन् भाव-संवेदनाओं को हिला देने की

शक्ति भी होनी चाहिए। आस्थायें, भावनायें एवं आकांक्षायें तीनों सहोदर सहेलियाँ हैं। जो इन तीनों को प्रभावित कर सके—समझना चाहिये उसी प्रशिक्षण से व्यक्ति और समाज का परिवर्तन संभव हो सकेगा और उसी के प्रभाव से युग परिवर्तन का आधार खड़ा होगा। युग मनीषियों का कर्तव्य है कि वे ऐसे लोकशिक्षण की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करें, जो समय की विकृतियों से जूझते हुए लोक-मानस की उत्कृष्टता की दिशा में घसीट ले चलने में पूरी तरह समर्थ हो।

इस युग संदेश की प्रस्तुतीकरण को घर-घर में, जन-जन तक पहुँचाने की आवश्यकता होगी। विशालकाय प्रचारतंत्र इसी के लिए खड़ा करना होगा। इस तंत्र के तीन आधार हो सकते हैं— (१) साहित्य (२) कला (३) धर्म मंच। इन तीनों की ही अपनी-अपनी शक्ति और मर्यादा है। तीनों के संयुक्त प्रयास से ही युग प्रवाह को उलट सकने वाली युगांतरीय चेतना का आविर्भाव होगा। तीनों को ही समन्वित रूप से साथ लेकर जनमानस को दिशा देने के लिए अग्रसर होने की आवश्यकता पड़ेगी।

२. रचनात्मक

दूसरा उपाय है ऐसे रचनात्मक लोकसेवी प्रयासों का प्रचलन—जिनमें सर्व साधारण को लगाने के लिये प्रोत्साहित करके सेवा धर्म में निरत होने का अभ्यास कराया जाय। पतनोन्मुख प्रवृत्तियाँ तो आदर्शों के अनुरूप विचार देने मात्र से भड़क उठती हैं, पर उत्कृष्टता की दिशा में कुसंस्कारी मन को घसीट ले जाना सरल नहीं है। ऐसे प्रसंगों में उसकी टालमटोल, उपेक्षा, बहानेबाजी देखते ही बनती है। पानी नीचे की ओर आसानी से बहने लगता है, पर ऊँचा चढ़ाने के लिये शक्ति भी लगानी पड़ती है और बुद्धि भी। समर्थ प्रशिक्षण में सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही पक्ष जुड़े रहते हैं। प्रचारात्मक उपायों से जानकारी दी जा सकती है अधिक से अधिक सहमत होने तक की बात बनती है। पर मुख्य प्रश्न तो आदत बदलने का है। आदतें क्रिया से संबंधित हैं। किसी कार्य को

बार-बार करने का अभ्यास ही, उसे आदत रूप में बदलता है। स्वभाव का अंग बन जाने पर ही स्थिरता आती है, अन्यथा आज का जमाया गया आदर्शवाद कल ऐसे ही हवा में उड़ सकता है। स्कूली पढ़ाई से लेकर संगीत-कला, सेना-परेड, जप-ध्यान तक में अमुक क्रियाओं—को दुहराते रहने, स्वभाव का अंग बनाने की आवश्यकता समझी जाती है। क्रिया, क्रिया से अभ्यास, अभ्यास से स्वभाव-संस्कार यही है चेतना को प्रशिक्षित एवं प्रवीण करने की पद्धति। परिष्कृत लोक चेतना का स्वप्न साकार करने के लिए प्रचारतंत्र तो खड़ा करना ही होगा, उसके बिना तो गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं, पर साथ ही इतना और समझ लेना चाहिये कि उसको अभ्यास में उतारने के लिए ऐसे प्रचलनों का, रचनात्मक कार्यों का ढाँचा खड़ा करना पड़ेगा, जिसमें लोगों को जुटाकर स्वभाव-संस्कार बनाने का अभ्यास कराया जा सके। प्रवृत्ति को मोड़ने की बात इससे कम में नहीं बन नहीं सकेगी।

युग परिवर्तन का वातावरण बनाने एवं आधार खड़ा करने के लिए अनेकों रचनात्मक कार्य हो सकते हैं और उन सबके अपने-अपने ढंग के सत्परिणाम हो सकते हैं। सीमा बंधन करते हुए हम पाँच रचनात्मक कार्यक्रम हाथ में लेकर चलते हैं। इनका व्यक्ति और समाज के नव निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने की बात हर किसी की समझ में आ सकने योग्य है। इनसे प्रगति की सामयिक भौतिक आवश्यकतार्य भी पूरी होती हैं और साथ ही उन प्रयासों में प्रवृत्त लोगों के स्वभाव में सुसंस्कारी तत्त्वों के प्रवेश कराने का उद्देश्य भी सघता है। जो उनमें लगेंगे वे अपना व्यक्तित्व परिष्कृत करने एवं आत्म संतोष पाने का लाभ लेंगे। दूसरे दर्शकों को भी इन हलचलों से अनायास ही दिशा बोध होगा। सोचने का अवसर मिलेगा और वैसा कुछ करने के लिए मन मचलेगा। इस प्रकार इन रचनात्मक प्रवृत्तियों को अपनाकर हम कई प्रकार के अति महत्वपूर्ण प्रयोजनों को पूरा कर सकते हैं।

युग निर्माण योजना द्वारा प्रस्तुत रचनात्मक कार्यों में जिन पाँच को प्रमुखता और प्राथमिकता दी गई है वे हैं—(१) शिक्षा

प्रसार (२) कुटीर उद्योगों का विस्तार (३) सहकारिता प्रचलन (४) जीवन साधना (५) हरितिमा संवर्धन। पाँचों की अपनी उपयोगिता है। योग्यता, स्थिति एवं अभिरुचि के अनुरूप प्रायः हर स्तर का व्यक्ति अपने लिए इनमें से कोई न कोई कार्य चुन सकता है। इसमें उसे आत्म परिष्कार और लोक निर्माण के उभय पक्षीय सत्प्रयोजनों के संपन्न करने का श्रेय लाभ मिलेगा।

३. सुधारात्मक

अवांछनीयतायें व्यक्ति के स्वभाव और समाज के व्यवहार में गहराई तक घुसकर बैठ गई हैं। अभ्यास में उतरते-उतरते आदत बन गई हैं और स्वाभाविक ही नहीं, प्रिय भी लगती हैं। अभ्यस्त होने के कारण एक प्रकार से अवांछनीयताओं के पक्ष में समर्थन तक का उत्साह रहता है। जो प्रिय है उसका पक्षपात करने के लिए असंख्य प्रकार के ऐसे तर्क और कारण गढ़ लिये जाते हैं, जिनमें न यथार्थता होती है और न औचित्य। भ्रांतियों की दृष्टि से अगणित गूढ़ मान्यताओं, अंधविश्वासों ने मस्तिष्कों पर बेतरह कब्जा कर लिया है। अवांछनीयताओं में समाज विरोधी उच्छृंखलताओं की भरमार है। अपराधों की श्रेणी में गिने जाने योग्य कार्य आये दिन होते रहते हैं। अनैतिकताओं में ही दुष्प्रवृत्तियाँ आती हैं, जो व्यक्ति के निजी स्तर को अपनी और दूसरों की आँखों से गिराती हैं तथा पिछड़ी परिस्थितियों में खड़े रहने के लिए विवश करती हैं। वैयक्तिक अनैतिकताएँ, सामाजिक अवांछनीयताएँ और इस अनगढ़पने की निशानी मूढ़-मान्यतायें इन दिनों चरम सीमा तक जा पहुँची हैं। इनको उखाड़ना भी एक बहुत बड़ा काम है। कई बार विषले फोड़े इस बुरी तरह प्रकट होते हैं कि उनकी शल्य क्रिया कराने के अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं रह जाता। कठिनाई हल्की होती है तो सौम्य उपायों से भी काम चल जाता है। रक्त की कमी उपयुक्त आहार-विहार से पूरी की जा सकती है। सामान्य रक्त विकार दवा-दारु से ठीक हो जाते हैं तो कैंसर-कारबंकल जैसे भयंकर विष-न्नण आपरेशन के बिना और किसी उपाय से काबू में नहीं आते। खोखली दाढ़ जब बे-तरह दर्द करती है तो उसे

उखाड़ने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं। मोतियाबिंद पकने पर आँखों में से जो अंधता छा जाती है, उसका निवारण भी डॉक्टर के चाकू से संभव होता है। कुछ ऐसी विवशतार्यें होती हैं, जिनमें कटु उपायों के अतिरिक्त सुधार की ओर कोई संभावना ही नहीं रह जाती। इस स्थिति में सुधारात्मक संघर्षों की अनिवार्यता को ही शिरोधार्य करना पड़ता है। यों सामान्य स्थिति में हर कोई शांति चाहता है और वह स्थिरता एवं प्रगति की दृष्टि से आवश्यक भी है, पर जब आक्रमणकारी तत्त्व जीवित रहना ही असंभव कर दें तो फिर उन्हें पीछे धकेलने के लिए संघर्ष जैसे कटु प्रसंगों को भी मान्यता देनी पड़ती है। भगवान् के अवतार समय-समय पर सृष्टि का संतुलन बनाने आते रहे हैं। इनमें से प्रत्येक को धर्म की स्थापना का दूसरा पक्ष अधर्म का उन्मूलन भी अपने क्रियाकलाप में सम्मिलित रखना पड़ा है। सच तो यह है कि उनकी गतिविधियों में धर्म-स्थापना से भी अधिक भाग अधर्म-उन्मूलन का रहा है। जिन दिनों दुष्टता और भ्रष्टता अपनी चरम सीमा का स्पर्श कर रही हों उन दिनों अनीतिविरोधी तेजस्विता जगाने और अनीति से लड़ पड़ने के लिए उत्तेजना भी उत्पन्न करनी पड़ती है। आपात धर्म के रूप में वह कड़वी औषधि भी गले उतारनी पड़ती है। उद्दंडता को धमकाये बिना वह काबू में भी नहीं आती।

भ्रातियों के निराकरण के लिए एवं सदाशयता के अभिवर्धन में लोकशिक्षण के प्रचारात्मक आधार खड़े करने होंगे। सज्जनता की सत्प्रवृत्तियों को स्वभाव एवं अभ्यास में लाने के लिए, सामयिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रचनात्मक क्रियाकलापों का प्रचलन करना होगा। इससे पिछड़ेपन की अनैतिकता दूर होगी। अवांछनीयता का उन्मूलन संघर्ष के बिना हो नहीं सकता। दुष्टता तभी अपनी मानमानी से हाथ सिकोड़ती है, जब उसे खतरे का प्रत्याक्रमण-प्रतिशोध का भय सामने खड़ा दिखाई देता है। लोक आक्रोश जब तक दुष्टता के विरुद्ध उभरेगा नहीं, तब तक उसकी विनाशलीला रुक नहीं सकती। अस्तु, युग परिवर्तन के लिए हमारी कार्य पद्धति में प्रचारात्मक, रचनात्मक और सुधारात्मक तीनों ही

तत्त्वों को सम्मिलित करके चलना होगा। देखने भर को ही इन तीनों की प्रकृति भिन्न प्रतीत होती है, पर वे तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। इनके संयुक्त समन्वय से ही वह प्रखर लोकशक्ति उत्पन्न होती है, जिसके सहारे युग परिवर्तन जैसे महान् लक्ष्य की उपलब्धि संभव हो सके।

प्रस्तुत पुस्तिका के प्रथम खंड में प्रचारात्मक और रचनात्मक पक्ष पर प्रकाश डाला जा रहा है। सुधारात्मक-संघर्षात्मक पक्ष की द्वितीय खंड में चर्चा की गई है। प्रकाशन की सुविधा के लिए ही दो खंड किये गये हैं, वस्तुतः उन्हें मिलाकर ही एक पूरा प्रतिपादन बनता है।

आधार—लोकशक्ति का जागरण

युग निर्माण की उपरोक्त त्रिविध क्रिया पद्धति को कार्यान्वित कैसे किया जाए ? उसके साधन कैसे जुटाये जाएँ ? इस संदर्भ में हमें लोकशक्ति को जगाने का कार्य हाथ में लेकर चलना होगा। जन सहयोग की स्वेच्छा प्रवृत्ति जगानी होगी। इसमें ही सामयिक समस्याओं का स्थिर समाधान है और भविष्य की निश्चितता। प्रखर लोकशक्ति का निर्माण एवं जागरण अपने आप में इतना बड़ा काम है कि उसके सहारे न केवल अवांछनीयताओं का निराकरण ही होता है, वरन् उज्ज्वल भविष्य के लिए असंख्यों सत् प्रवृत्तियाँ चल पड़ने का मार्ग भी प्रशस्त होता है। अस्तु, भले ही लक्ष्य की पूर्ति में देर लगे, पर हमें समाधान को ध्यान में रखते हुए लोकशक्ति को जगाने और उसे सत्प्रयोजनों में लगाने की नीति ही अपनानी चाहिए।

सरलता इसमें समझी जाती है कि राजतंत्र की सहायता से परिवर्तन का प्रयोजन सरलतापूर्वक संपन्न हो सकता है, तो उसी माध्यम से कार्य क्यों न किया जाय ? सरकार के पास जो शक्ति है, उसके सहारे अवांछनीयताओं को कड़े कानून बनाकर दबाया जा सकता है। इसी प्रकार व्यक्ति की निजी क्षमता पर शासकीय अंकुश लगाकर इतना विवश बनाया जा सकता है कि अनैतिक

कार्यों के लिए अवसर ही शेष न रह जाए। यह प्रयोग अधिनायकवादी शासन पद्धतियाँ कर भी रही हैं। इन प्रयत्नों से भय और आतंक के दबाव से मनुष्य विवशता अनुभव करके चुप बैठ सकता है। इससे दम्भवृत्तियों पर तो अंकुश लगेगा, पर इस लाभ की तुलना में और भी बड़ी हानि यह होगी कि मनुष्य की निजी उमंगों को, उत्कृष्टताओं को, प्रतिभाओं को, अपना चमत्कार दिखाने के लिए कोई स्वतंत्र अवसर ही न रह जायगा।

एक बात और भी है कि सरकार के द्वारा रचनात्मक कार्य एक सीमा तक ही पूरे किये जा सकते हैं। जितनी आवश्यकता है उसका समूचा भाग पूरा कर सकना उसके लिए संभव भी नहीं है। सरकार टैक्स वसूल करके ही तो कोई काम करेगी। टैक्स वसूल करने का तंत्र ही प्रायः आधी कमाई खा जाता है। फिर जो लोग सेवा योजनाओं को कार्यान्वित करते हैं, उनका पारिश्रमिक इतना महँगा होता है कि रचनात्मक कार्यों में प्रत्यक्ष लगने वाले धन का एक चौथाई उसी में चला जाता है। आधा टैक्स वसूली में, आधा कार्यान्वित करने वाले कर्मचारियों में चला गया तो अभीष्ट कार्य में लगाने के लिए एक चौथाई पूँजी ही शेष रह गई। उसमें ठेकेदारों, बिचौलियों और भ्रष्टाचारियों का हिस्सा है। इस प्रकार सरकार के माध्यम से जनता को जो सहयोग टैक्स के रूप में, अनिवार्य दबाव के रूप में देना पड़ता है उसकी तुलना में उस प्रयास से अत्यधिक लाभ हैं, जो स्वेच्छा-सहयोग से संपन्न किया जाय। इसमें प्रायः पूरी पूँजी प्रत्यक्ष कार्यों में ही लगती है।

स्वेच्छा-सहयोग से श्रमदान वाला बहुत बड़ा भाग तो मुफ्त में ही मिल जाता है। साथ ही उसमें सेवा भावना की उमंग जुड़ी रहने से काम में अच्छाई भी रहती है। सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि इस माध्यम से अधिकाधिक लोगों को समाज के प्रति उदात्त सेवा साधना का परिचय देते बन पड़ता है। इस अंतःश्रद्धा की अभिवृद्धि से इसे सेवा सहयोगियों की आंतरिक श्रेष्ठता विकसित करने का अवसर मिलता है। समाज निर्माण के साथ-साथ व्यक्ति निर्माण का इस प्रकार दुहरा लाभ मिलता है। इस प्रकार की परंपरा चल पड़ने

से आज की समस्याओं के समाधान का तो लाभ है ही, उससे भविष्य के उज्ज्वल बनाये रहने का स्वभाव और अभ्यास भी बनता है। इसलिए युग निर्माण के बाद उसी अंश की चर्चा इस पुस्तिका में की गई है, जो जन स्तर पर स्वेच्छा सहयोग से किये जा सकते हैं। सरकार के अपने साधन हैं। उसका अपना क्षेत्र है। वह अपने ढंग से अपना काम करे, पर राज्याश्रय के भरोसे हाथ रखे बैठे रहने की आवश्यकता नहीं है। स्मरण रखा जाय, जन समस्यायें इतनी सुविस्तृत हैं कि उन सबको हाथ में लेकर चलना कम से कम लोकतंत्री सरकारों के लिए तो किसी भी प्रकार संभव नहीं हो सकता। पूरी जनशक्ति अपने शिकंजे में कसे रखने वाली अधिनायकवादी सरकारें तक मात्र राजतंत्र के सहारे समग्र समस्याओं का हल निकालने में असफल रह रही हैं, तो लोकतंत्री सरकारें उतना सब कर लेंगी, ऐसी आशा कैसे की जा सकती है ? फिर सरकार भी तो अंततः जनता ही है। जनता सारे काम सरकार के माध्यम से ही कराये तो उसका वैयक्तिक उत्साह और पुरुषार्थ सजीव-सक्रिय किस प्रकार रह सकेगा। अस्तु, अपनी योजना में जन सहयोग को ही प्रधानता दी गई है। इनमें कहीं कुछ सरकारी सहयोग मिलता हो तो उसका विरोध नहीं, वरन् स्वागत-समर्थन ही किया जाना चाहिए। दृष्टि यही रहनी चाहिए कि नव निर्माण में स्वेच्छा-सहयोग को उभारने को ही प्रमुखता देकर चला जा रहा है।

नव निर्माण का कार्यक्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। उसके लिए साधनों की प्रचुर परिमाण में आवश्यकता होगी। सरकारी तंत्र की तुलना में उसका विस्तार और उत्तरदायित्व कहीं अधिक बढ़ा-चढ़ा है। उसके लिए साधन तो चाहिए ही। इन्हें जुटाने के लिए—एक ही आधार है। अंशदान-स्वेच्छा सहयोग। इसके लिए सर्व साधारण में उतना ही उत्साह उत्पन्न किया जाना चाहिए, जितना शरीर निर्वाह और परिवार-पोषण में रहता है। इसे मानवी गरिमा को सुस्थिर रखने एवं विकसित करने का मूल माना जाए, किसी पर किया गया अहसान नहीं। इस उदार अनुदान को जीवनचर्या का अंग बनाया जाए और उसे क्रियान्वित करना निर्वाह की सामान्य रीति-नीति में

सम्मिलित रखा जाए। निजी-परिवार की और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना समान महत्त्व का समझा जाने लगे, ऐसी स्वस्थ परंपरा का आरंभ और विकास किया जाना चाहिए; तभी उतने साधन जुटेंगे जिनके सहारे नव-निर्माण की सुविस्तृत आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो सके।

जनमानस में यह विवेक जाग्रत करना है कि मनःस्थिति से परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। अस्तु, श्रेष्ठ परिस्थितियाँ प्राप्त करने के लिए आस्थाओं, विचारधाराओं और प्रवृत्तियों का परिष्कार आवश्यक है। जहाँ यह स्थापना हो चले, वहाँ इसी का दूसरा पक्ष यह भी हृदयंगम कराया जाना चाहिए कि नव निर्माण में बढ़-चढ़कर योगदान देना प्रत्येक जाग्रत आत्मा का परम पवित्र कर्तव्य है। स्वार्थ को परमार्थ में विकसित करना ही जाग्रत आत्माओं का चिह्न है। इसे कल्पना से क्रिया में उतारना होता है। लोकमंगल के लिए अपने अनुदान-अंशदान प्रस्तुत करने से ही उत्कृष्टता की वास्तविकता परखी जा सकती हैं। प्रत्येक जाग्रत आत्मा को इसके लिए झकझोरा जाए कि यदि वह आत्मोत्कर्ष और लोकहित के महत्त्व को समझ सके तो इसके लिए उदार अनुदान प्रस्तुत किये बिना किसी प्रकार काम नहीं चल सकता। कृपणता, निष्ठुरता, संकीर्णता और संग्रही मोह-ममता को आँच न आये और आदर्शवाद भी निभता रहे—ऐसा पूर्व-पश्चिम का मेल संभव नहीं हो सकेगा। प्रतिद्वंद्वी मान्यताओं की पटरी देर तक नहीं बैठ सकती। उच्च स्तरीय विवेक जागे तो श्रेष्ठता के संवर्धन में उदार अनुदान भी उभरे। दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। जिसमें जितनी अधिक उत्कृष्टता हो, वह निजी महत्त्वाकांक्षाओं को उसी अनुपात से घटाये और कठोर श्रम एवं प्रखर मनोयोग से उत्पन्न उपलब्धियों को विश्व कल्याण के लिए प्रस्तुत करे। आदर्शवादियों की, साधु-ब्राह्मणों की यही परंपरा रही है कि उन्होंने खाया न्यूनतम है और बाँटा अधिकतम है। देव समाज में इसी सत्प्रवृत्ति का बाहुल्य रहता है। यह परंपरा हम लोग अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर इस प्रकार प्रस्तुत

करें कि दूसरों में भी अनायास ही उसके अनुकरण-अनुसरण की भावना उमंगे।

व्यक्ति और समाज की प्रस्तुत दुर्गति के लिए उत्तरदायी दुर्बुद्धि ने दुःखद परिस्थितियाँ उत्पन्न करने में प्रचुर साधन जुटाकर तब सफलता पाई है। अश्लील साहित्य, सिनेमा, नशा और प्रपंच-पाखंडों में कितनी पूँजी, कितनी बुद्धि और कितनी जनशक्ति लगी हुई है, तब कहीं विनाश का वातावरण बन पाया है। तोड़ने की अपेक्षा बनाने में अधिक साधन लगते हैं। युग निर्माण इतना बड़ा निर्माण है, जिसकी तुलना में पूरी शताब्दी के भौतिक निर्माणों का एकत्रीकरण भी हल्का बैठेगा। इतने बड़े सृजन में स्वभावतः श्रमशक्ति, बुद्धि शक्ति, जनशक्ति एवं धन शक्ति की प्रचुर परिमाण में आवश्यकता पड़ेगी। यह आसमान टूटने से अथवा धरती फटने से अनायास ही टूट पड़ने वाली नहीं है। इसे बूँद-बूँद से घट भरने की नीति अपनाते हुए पूरा करना पड़ेगा। विवेकवान् सहृदयता को इस प्रयोजन के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़ा होना होगा।

सृजन सेनानियों को औसत भारतीय स्तर पर गुजारा करने का आर्थिक बजट रखना चाहिए। कठोर श्रम करने और व्यस्त रहने की आदत डालनी चाहिए। संग्रह की लिप्सा और प्रदर्शन की अहंता को निरस्त करना चाहिए। महत्वाकांक्षाएँ बड़पन से हटाकर मानवता में नियोजित की जाएँ। परिवार बढ़ाया न जाए। जो है उतने को ही सुसंस्कृत और स्वावलंबी बनाया जाए। उत्तराधिकार में संपत्ति नहीं, सज्जनता एवं सुसंस्कृति की परंपरा प्रदान की जाए। अपने आपको इस ढाँचे में ढाल लिया जाए, तो हममें से हर विचारशील के पास ढेरों समय, साधन परमार्थ प्रयोजनों के लिए बच सकते हैं। हमें अपने पर यह प्रयोग आरंभ करना चाहिए और मिशन से परिचित, प्रभावित हर व्यक्ति से प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप में यह अनुरोध करना चाहिए कि वह भी अपनी विचारशीलता को उदारता में परिणत करके उसकी यथार्थता और गहराई सिद्ध करे।

युग निर्माण परिवार में यह अंशदान परंपरा सहायता की शर्त बनाकर रखी गई थी। एक घंटा समय और दस पैसा नित्य ज्ञान यज्ञ के लिए लगाते रहने की निष्ठा प्रामाणिकता सिद्ध करने जैसी मानी गई थी। कई परिजन इस संदर्भ में उपेक्षा बरतते रहे हैं। अब हमें उस शर्त को अपनी सदस्यता की परीक्षा मानकर पालन करते रहना चाहिए। जिन पर मिशन के प्रभाव की कुछ छाप है उन्हें इस तनिक से साहस को जुटाने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। आखिर सृजन बातों से तो नहीं हो जायेगा। उसके लिए आवश्यक साधन भी तो जुटाने होंगे और उसके लिए दूसरों को तैयार करने से पूर्व पहल अपने आपसे करनी होगी।

उक्त अंशदान युग निर्माण के साधनों में सबसे प्रमुख है। धन और समय दोनों ही शक्तियाँ इसी माध्यम से जुटेंगी। धन संग्रह तो अन्य प्रकार से भी हो सकता है, पर समय तो परिचितों और प्रभावितों से ही मिलेगा। दस पैसा—एक घंटा अंशदान तक, आरंभिक लोगों के लिए अनिवार्य शर्त के रूप में था। भावनाशील समय और धन का अंशदान अधिक मात्रा में करें। एक दिन की आमदनी भी किसी के भारी नहीं पड़ता। अपने निजी परिवार के वर्तमान सदस्यों में एक ज्ञान-यज्ञ को भी मान लिया जाए तो जितना खर्च परिवार के हर सदस्य पर आता है उतना इस पुण्य प्रयोजन के लिए भी निकाला जाता रह सकता है। विवाह-शादियों में, संतान जन्म, जन्म दिन जैसे शुभ अवसरों पर—मृतक संबंधियों की स्मृति में, वेतन वृद्धि होने पर, नई फसल आने पर यदि इन पुण्य प्रयोजनों में दान करने की परंपरा चल पड़े तो उपयोगी कार्यों के लिए आवश्यक धन मिलता रह सकता है। व्यापारी लोग धर्मखाता निकालते हैं और अपने व्यवसाय में देवता की एक छोटी भागीदारी रखते हैं। वैसे प्रचलन अपने सृजन समुदाय में भी चल सकते हैं। पारिवारिक उत्तरदायित्व जितने हल्के होते जाएँ उसी अनुपात में सेवा कार्यों में अधिक समय लगता रह सकता है। ढलती आयु में वानप्रस्थ लेने की धर्म परंपरा यदि फिर से चल पड़े तो निवृत्त लोग खाली बैठने की अपेक्षा—सृजन सैनिकों की तरह

जुट पड़ें तो अपने इस फालतू समय से अपना और समस्त समाज का भरसक हित साधन कर सकते हैं।

अंशदान के समतुल्य ही एक दूसरा कर्म है—पूँजी का एकत्रीकरण। साहित्य, कला जैसे प्रयोजनों के लिए व्यवसाय स्तर के अनेक कार्य आरंभ करने होंगे। उसके लिए विचारशील लोगों की पूँजी बैंकों की तरह जमा की जा सकती है। बड़े-बड़े मिल, कारखाने, बैंकें, व्यवसाय, प्रायः लिमिटेड कंपनी प्रणाली, सहकारिता एवं बैंक पद्धति से पूँजी जमा करके अमुक व्यवसायों में लगाते हैं। हम लोग अपने जेवर आदि में रुकी हुई तथा जायदादों में फँसी हुई पूँजी को उधर से हटाकर इन सृजनात्मक व्यवसायों में लगाने के लिए अमानत जमा करा सकते हैं। इसमें ब्याज भी मिलता रहेगा और नव-निर्माण के लिए, आवश्यक उत्पादनों के लिए पूँजी भी मिल जायेगी। ऐसे-ऐसे अनेक उपाय सोचे जा सकते हैं, जिससे श्रम एवं धन को अंशदान के अथवा जमा धरोहर के रूप में प्राप्त करने की व्यवस्था बना सकें। केंद्रीय एवं स्थानीय छोटे-बड़े नव निर्माण के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के लिए अभीष्ट सामर्थ्य एवं साधन जुटा सकना इसी प्रकार संभव होगा।

विचारक्रांति के उपयुक्त साहित्य

भावनात्मक नव निर्माण का ही दूसरा नाम विचारक्रांति है, इसी ज्ञानयज्ञ के साथ नवयुग के अवतरण का पुण्य प्रयोजन संभव होगा। इसलिए हमें सर्वप्रथम विचार-परिवर्तन के लिए आवश्यक स्रोत एवं माध्यमों का सहारा लेना पड़ेगा। इस उद्देश्य के लिए सर्वप्रथम युगांतरीय चेतना उत्पन्न करने वाले सत्साहित्य की आवश्यकता पड़ेगी। यों वाणी के माध्यम से भी एक सीमा तक काम हो सकता है। प्राचीनकाल में तो यही साधन प्रधान था। उन दिनों मुद्रणकला का विकास नहीं हुआ था। हाथ से लिखे ग्रंथों का न तो बड़ी संख्या में सृजन हो सकता था और न उनका मूल्य ही सर्व-सुलभ हो सकता था। उस स्थिति में वाणी ही प्रधान माध्यम थी। प्रवचनकर्ता प्रचार का प्रयोजन पूरा करने के लिए परिव्राजकों

के रूप में परिभ्रमण करते थे। कथा, प्रवचन, सत्संग, गोष्ठियों आदि की विधि व्यवस्था काम में लाई जाती थी। लाउडस्पीकरों का भी उन दिनों प्रचलन नहीं था। अस्तु, ऊँचे स्वर में बोलने पर भी थोड़े से ही लोग उन विचारगोष्ठियों का लाभ उठा पाते थे। प्राचीनकाल में तो वाणी ही एकमात्र विचार-प्रसार का माध्यम थी। अब भी उसकी उपयोगिता तो है, पर मुद्रणकला ने इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए नया आधार प्रदान किया है। अब पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से यह कार्य अधिक सुविधापूर्वक संपन्न हो सकता है। अब सस्ते मूल्य में साहित्य छपता है और डाक, रेल के माध्यम से उसे दूर-दूर तक स्वल्प व्यय से पहुँचाया जा सकता है। यह अपने युग की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका उपयोग एक सर्वसुलभ प्रचलन है। युग परिवर्तन की पृष्ठभूमि बनाने के लिए भावनात्मक परिष्कार के पक्ष में वजनदार आधार प्रस्तुत करने के लिए तद्विषयक साहित्य को प्रधानता देनी होगी।

युग परिवर्तन के लिए लोकमानस ढाल सकने वाली विशालकाय भट्टी की आवश्यकता पूरी कर सकने वाले साहित्य-सृजन का सारा सरंजाम नये सिरे से खड़ा करना पड़ेगा। जिस अवांछनीय परिस्थिति और मनःस्थिति में होकर हम गुजर रहे हैं, उसे बदलने के लिए ऐसे क्रांतिकारी युग साहित्य की आवश्यकता है, जो व्यक्ति और समाज की चेतना पर जमी हुई आसुरी सत्ता को निरस्त करने में जोरदार टक्कर ले सकने में समर्थ हो। साथ ही उसमें यह विशेषता भी हो कि उन्मूलन के उपरांत रिक्तता उत्पन्न न होने दें और लगे हाथ अभिनव सृजन का बीजारोपण भी करता चले। कुशल डॉक्टर एक क्षण में आपरेशन करता है और दूसरे ही क्षण घाव भरने के लिए टांके लगाने से लेकर मरहम पट्टी के समस्त उपचार उतनी ही सतर्कतापूर्वक करता है, जितनी कि सतर्कता से उसने चीरफाड़ के औजारों का प्रयोग किया था। युग साहित्य में ध्वंस और सृजन की कुशल डॉक्टर जैसी क्षमता होनी चाहिए।

अनीति के उन्मूलन और नीति के संस्थापन के कार्य को ईश्वर अवतार के समतुल्य कहा जा सकता है। ईश्वर अप्रत्यक्ष है। उसकी प्रत्यक्ष प्रतिमा आज के युग में युग साहित्य के रूप में भी विनिर्मित हो सकती है। इसके लिए वर्तमान प्रकाशकों पर निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा। उनकी दृष्टि थक गई है। मुश्किल से ही अपने ढर्रे में थोड़ा-बहुत हेर-फेर कर पावेंगे। क्रांतिकारी तत्त्व मौलिक होते हैं, वे थोपे नहीं जा सकते हैं। जिन्होंने अपने व्यवसाय की नीति अधिक अर्थ उपार्जन की, ग्राहकों की माँगें पूरी करने की बना ली है, वे उस लाभदायक सरलता को छोड़कर ऐसे झंझट में क्यों पड़ेंगे ? जिसमें लाभ कम और सिरदर्द बहुत है।

युग साहित्य के सृजन विस्तार की योजना इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसे भयंकर अग्निकांड रोकने के लिए जुटाये गये शक्तिशाली 'फायर ब्रिगेडों' के समतुल्य आंका जा सके। समस्या तो विश्वव्यापी है, पर फिलहाल अपने देश का ही लक्ष्य रखें तो उससे हर क्षेत्र में विचार पहुँचाने के लिए संविधान में मान्यता प्राप्त १४ भाषाओं को भी माध्यम बनाना ही होगा। यों अल्प-शिक्षित जनता की क्षेत्रीय भाषायें ही अधिक अनुकूल पड़ती हैं। इन सबको मिलाया जाय तो उनकी संख्या दर्जनों हो जाती है। गद्य तो १४ भाषाओं में भी चल सकता है, पर यदि जनगीतों की भी आवश्यकता समझी जाए तो उसके लिए इन सभी क्षेत्रीय भाषाओं में गीत लिखे और छापे जाने चाहिए। अल्प शिक्षित देहातों में रहने वाली जनता को प्रेरणा देने की दृष्टि से वस्तुतः गद्य से भी अधिक महत्वपूर्ण पद्य होता है। पद्य को हाथ में लेना हो तो दर्जनों क्षेत्रीय भाषाओं को ध्यान में रखना होगा। जहाँ एक भाषा हो वहाँ विचार प्रचार सरल है। पूरे अमेरिका महाद्वीप में अंग्रेजी की प्रमुखता है। वहाँ साहित्य-सृजन और विस्तार सरल है, पर भारत जैसे भाषा विभाजित देश में प्रकाशन और लेखन तंत्र के निर्माण में उतनी गुनी शक्ति खपानी पड़ेगी जितनी कि भाषाएँ होंगी। विभाजित क्षेत्र छोटे होते हैं। अस्तु उनमें छपने वाले साहित्य की मात्रा भी छोटी ही रखनी पड़ेगी। श्रम, व्यवस्था, साधन, ढाँचा, लगभग एक जैसा

लगा, पर उत्पादन थोड़ा हुआ, तो वह भी एक कठिनाई ही रही। एक भाषा रही होती तो एकतंत्र—एक स्थान की एक व्यवस्था और एक पूँजी के अंतर्गत विशाल चक्र घुमाया जा सकता था। पर क्षेत्र बहुत होने से न्यूनाधिक मात्रा में उतने ही गुनी शक्ति का नियोजन करना पड़ेगा।

आज हमारी नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक स्थिति दयनीय है। शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक क्षेत्र भी बुरी तरह तमसाच्छन्न हैं। धर्म और अध्यात्म के नाम पर तो भ्रांतियों और पाखंडों का ही बोलबाला है। कुर्सी की राजनीति का बोलबाला और अब उसे कूटनीति का खुला संबोधन मिल गया है। विकृतियों और भ्रांतियों के बीच घोर उलझन भरी मनःस्थिति और परिस्थिति के बीच हम रह रहे हैं। इसका निराकरण छुटपुट सामयिक उपचार खोजने से हो नहीं सकेगा। आवश्यकता पूरे ढाँचे को बदलने की पड़ेगी। यह कार्य चिंतन को नई दृष्टि दिये बिना और किसी प्रकार संभव नहीं हो सकता। इस परिवर्तन-परिष्कार को विचारक्रांति का नाम दिया जा सकता है। इसी की शाखा-प्रशाखायें व्यक्ति और समाज को प्रभावित करने वाले विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी उथल-पुथल उत्पन्न कर सकती हैं, जिसके सहारे बढ़ती हुई विभीषिकाओं पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। दुर्बुद्धि को सदबुद्धि में बदल देने वाला व्यापक ज्ञान यज्ञ ही युग परिवर्तन की पृष्ठभूमि बन सकता है।

इसके लिए ऐसे साहित्य का सृजन करना होगा, जो कैची और गोंददानी के सहारे देशी-विदेशी नकलची की जूठन की तरह टोकरी में न भर लिया गया हो, वरन् जिसमें युग समस्याओं पर गहराई तक सूक्ष्म दृष्टि डाली गई हो और तात्त्विक समाधान खोजे गये हों। इस प्रकार के निर्माण को युग साहित्य कह सकते हैं। वह हर वर्ग के व्यक्तियों की मनःस्थिति और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए लिखा गया होना चाहिए। बच्चे, महिलार्ये, श्रमिक, व्यवसायी, छात्र, अध्यापक कलाकार, रोगी, सेवा निवृत्त, धर्मजीवी जैसे सैकड़ों वर्ग देश में रहते हैं, उनकी दार्शनिक समस्यायें एक होते हुए भी व्यवहारिक जीवन की परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न हैं। वे

अपनी स्थिति में क्या सोचें और क्या करें, इस प्रकार का—तर्क और तथ्यों से भरा-पूरा ऐसा मार्गदर्शन दें, जो अपनी प्रखरता के कारण लोगों के गले उतरते-उतरते अंतःकरण तक जा पहुँचे।

इस प्रयोजन के लिए एक विशालकाय प्रकाशनतंत्र खड़ा करना है। इसके लिए केंद्रीभूत या खंड-खंडों में विभक्त व्यवसाय संस्थान खड़े करने होंगे। मिलों और फैक्टरियों में लाखों-करोड़ों की पूँजी लगती है। कानपुर, अहमदाबाद, इंदौर जैसे एक-एक नगर में ऐसे-ऐसे सैकड़ों-सैकड़ों मिल कारखाने हैं। इनकी पूँजी अरबों को पार कर खरबों तक पहुँचती होगी। अहमदाबाद नगर में जितना कपड़ा बनाता है, कम से कम इतनी पूँजी तो भारत की आवश्यकता पूरी करने के लिए चाहिए ही। छोटे-बड़े कल-कारखाने खोलने के लिए कितने ही धनपति स्थान और उद्योग तलाश करते रहते हैं। यदि किसी अर्थ क्षेत्र में काम करने वाली प्रतिभा का ध्यान इस ओर जा सके तो अन्य उद्योगों की तरह इस प्रयोजन के लिए कितने ही लिमिटेड संस्थान सत्साहित्य के प्रकाशन के लिए खड़े हो सकते हैं।

विचार विस्तार की दृष्टि से मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक पत्र-पत्रिकाओं का अपना महत्त्व है। इस पद्धति से निकलने वाले साहित्य का मूल्य अपेक्षाकृत सस्ता रहता है। विज्ञापन मिलते रहने, पेशगी, वार्षिक चंदा मिलने तथा सुनिश्चित ग्राहक संख्या रहने के कारण प्रकाशकों को उसे सस्ते मूल्य पर दे सकना संभव होता है। पाठकों को अपनी अभिरुचि के अनुसार नियत समय पर सामग्री मिलती रह सकती है। दैनिक समाचार पत्र भी यदि विचारक्रांति के उद्देश्य से निकलें तो उनकी भी बड़ी-बड़ी भूमिका हो सकती है। मासिक, साप्ताहिकी की पूँजी तथा व्यवस्था सरल पड़ती है, इसलिए वे अपेक्षाकृत स्वल्प-साधनों में निकल सकते हैं। सत्साहित्य प्रकाशन योजना में पुस्तकों की तरह ही पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन भी सम्मिलित रखा जाना है।

वर्तमान पत्र-पत्रिकाओं में वैसा उभार फिर पैदा किया जाना चाहिए जैसाकि किसी समय अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध वातावरण

बनाने में और स्वतंत्रता के पक्ष में वातावरण बनाते हुए दिखाई पड़ा करता था। उन्हें यह सुझाया जा सकता है कि दृष्टिकोण परिवर्तन का काम राज्य परिवर्तन से भी बड़ा है। जो हो चुका उसकी तुलना में जो करना शेष है, वह अधिक है। अस्तु धनुष पर से प्रत्यंचा उतार नहीं दी जानी चाहिए और कमर पर कसे तरकस खोल नहीं दिये जाने चाहिए। लोकशिक्षण का बहुत बड़ा काम करना शेष है। विनोद कौतूहल की विलासी सामग्री की नहीं, अभी तो संजीवनी बूटी पिलाने की आवश्यकता है। प्रयत्न किया जाए तो वर्तमान पत्र प्रकाशकों और संपादकों में से अधिकांश को विचार-क्रांति के पक्ष में अपने पृष्ठ खोल देने के लिए सहमत किया जा सकता है। इसी प्रकार ऐसे जटायु-संपाती लेखक भी किसी खोह की तर में से ढूँढ़ निकाले जा सकते हैं। जो प्रखरता उत्पन्न करने की शपथ उठाकर भगवती लेखनी को धर्मयुद्ध में चलने वाली भवानी भुसुंडी की तरह उपयोग करके सिर कट जाने पर भी रुंड की तरह उठकर शत्रु से जूझते-जूझते दम तोड़ें। पुरानी पीढ़ी थक गई हो। जवान पीढ़ी पर खुमारी छा गई तो नई पीढ़ी के लव-कुश भी इसके लिए सघाये जा सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों वाली पौध लेखक वर्ग में उगाई और परिपुष्ट की जा सकती है। कुछ कर गुजरने का दर्द हो तो प्रस्तुत पत्रिकायें और लेखक वर्ग को कुछ तो करने के लिए सहमत किया ही जा सकता है। इतना बन पड़े तो भी एक बड़ी बात है। निराशा के अंधकार में आशा की किरणें फूटती इतनी से भी देखी जा सकती हैं।

एक भाषा में छपी पुस्तकें दूसरी भाषा में अनुवादित होकर सहज ही छपती रह सकती है। इस प्रकार भारत की चौदह भाषाओं में से किसी भाषा में जो अच्छी सामग्री छपे, उसका अनुवाद अन्य भाषाओं में कराके छपाते रहना केंद्रीय तंत्र के लिए सरल है। इस प्रकार प्रकाशन सामग्री एक बार लिखी जाने पर मूल भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं की भी आवश्यकता पूर्ण करती रह सकती है।

पत्र-पत्रिकाओं और प्रकाशकों का केंद्रीयकरण न हो तो भी उनके बीच ताल-मेल बिठाया जा सकता है और विचारक्रांति की असंख्य धाराओं में से अपनी-अपनी रुचि का विषय छाँटा—अपनाया जा सकता है। उनका संयुक्त प्रयास युगांतरीय उद्देश्य की पूर्ति में महत्त्वपूर्ण सहायता कर सकता है।

चित्र प्रकाशन भी सत्साहित्य वर्ग का ही एक कार्य है। महापुरुषों को प्रेरणाप्रद घटनाओं के छोटे-बड़े चित्र छापे जा सकते हैं। आदर्श वाक्य, पोस्टर भी बहुत ही महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। कलैंडर, विवाह शादियों के निमंत्रण-पत्र, नव वर्ष की शुभकामनाओं जैसे चित्र प्रकाशन के अनेकों प्रकार ऐसे हैं, जो जन-जागृति के प्रयोजन भी पूरा करते रह सकते हैं।

छोटी-छोटी सहकारी समितियाँ, प्राइवेट लिमिटेड तथा व्यक्तिगत फर्म लाखों के बारे न्यारे करती हैं। चौदह भाषाओं के लिए ऐसे १०० फर्म भी उठ खड़ी हों तो समय की एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण माँग पूरी की जा सकती है। आज विक्रेता को जो आसानी से मिलता है, वह बेचता है। ग्राहक जो माँगते हुए आता है, वह रखता है। कल जबकि युग साहित्य भी उपयुक्त मूल्य और सज्जा में मिलेगा तो उसे भी विक्रेता अपने यहाँ रखेंगे और बेचेंगे। विज्ञापनबाजी से आकर्षण उत्पन्न करके जब नशीले पदार्थों और बेसिर-पैर की दवाओं को खपाया जा सकता है तो कोई कारण नहीं कि युग साहित्य खरीदने की उत्तेजना जन साधारण में पैदा न की जा सके। दुकानें लेकर बैठने वाले विक्रेताओं का अपना महत्त्व है। पुरानों का सहयोग लिया जा सकता है और नये उत्पन्न किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ा कार्य इस क्षेत्र में यह होना चाहिए कि चल पुस्तकालयों की एक विशेष शृंखला खड़ी की जाय। छोटी बड़ी चलती-फिरती गाड़ियाँ इस प्रयोजन के लिए बन सकती हैं। साइकिल वाले, चार पहियों की धकेल गाड़ियाँ, फेरी वाले, गली-मुहल्लों और हाट-बाजारों में लिये फिरते हैं। इस प्रकार की खुली गाड़ी साहित्य समेत पाँच सौ में ही चल सकती हैं। सुसज्जित ढकी हुई बनानी हो और अधिक साहित्य रखना हो तो

डेढ़-दो हजार की पूँजी पर्याप्त होनी चाहिए। इसे यदि घोड़े, बैल से खींचने वाली रिक्शे की तरह चलने वाली या तेल, पेट्रोल से चलने वाली बनाया जा सके तो एक क्षेत्र से दूर-दूर तक छोटे-बड़े गाँवों में, हाट-बाजारों में ले जाया जा सकता है। कुशल फेरी वाले न जाने क्या-क्या अगडम-बगडम बेचकर अपने परिवार का मजे से गुजारा करते हैं, फिर कोई कारण नहीं कि विक्रय कला की थोड़ी-सी ट्रेनिंग लेकर बेकार शिक्षितों में से असंख्याँ इस व्यवसाय को अपनाने के लिए सहर्ष तैयार न हो सकें। इस प्रकार घर-घर, जन-जन तक युग साहित्य पहुँचाया जा सकेगा।

गली-गली, मुहल्ले-मुहल्ले ऐसे पुस्तकालय-वाचनालय खोले जायें, जिनके माध्यम से बिना खरीदे ही स्वल्प-सा मासिक शुल्क देकर प्रेरणाप्रद साहित्य सर्व सुलभ हो सके। इसी प्रकार जगह-जगह ऐसे वाचनगृह होने चाहिए, जिन्हें सत्संग स्तर का महत्त्व मिल सके। इनमें कुशल वक्ता सत्साहित्य पढ़कर सुनाया करें। इससे अशिक्षितों को, अल्प-शिक्षितों को, क्षीण नेत्रशक्ति वालों को सुविधापूर्वक उपयोगी प्रेरणा प्राप्त करते रहने का अवसर मिलता रहे। अपने देश में प्रायः ७० प्रतिशत अशिक्षित हैं। 'युग-प्रकाश' तो उन तक भी पहुँचना चाहिए, यह नियमित रूप से क्रमबद्ध तभी मिलता रह सकता है, जब सत्संग स्तर की वाचन व्यवस्था की जा सके। इसका महत्त्व अपने देश में—विशेषतया छोटे देहातों में, पुस्तकालयों एवं वाचनालयों में, किसी भी प्रकार कम महत्त्वपूर्ण नहीं है।

उत्पादन सस्ता कैसे पड़े ? उसकी कलेवर-सज्जा कैसे सुरुचिपूर्ण बने ? पृष्ठ संख्या एवं मूल्य निश्चित करने के संबंध में नीति क्या रहे ? प्रकाशन और विक्रय संस्थानों के बीच ताल मेल किस प्रकार बैठे ? शिक्षितों को उसे पढ़ने के लिए उत्तेजना देने वाला प्रचार-विज्ञापन कैसे हो ? मुद्रणतंत्र किस स्तर का हो ? पूँजी कैसे जुटाई जाए ? व्यवस्था का ढाँचा किस प्रकार खड़ा किया जाय ? लेखन के लिए किसी एक प्रखर मार्गदर्शन में उपयुक्त प्रतिभाओं से क्या लिखाया जाय ? लेखन के लिए आवश्यक

सामग्री कहाँ से जुटाई जाए ? जैसे अनेकों प्रश्न हैं, जो सत्साहित्य प्रकाशन का ढाँचा खड़ा करते समय सामने होंगे। इनके उत्तर पूर्ण निश्चित नहीं हो सकते। परिस्थितियों और साधनों को ध्यान में रखते हुए इस विषय के अनुभवियों के परामर्श से ही वैसा कुछ निर्धारण संभव हो सकेगा। अस्तु, उन बारीकियों में यहाँ उतरने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

आज तो आवश्यकता इस बात की है कि बड़े या छोटे पैमाने पर ऐसे प्रकाशनतंत्र खड़े किये जायें जो लेखन से लेकर विक्रय तक की समस्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अपनी गतिविधियों को किसी प्रकार आरंभ एवं अग्रसर कर सकें। छोटे आरंभ भी भविष्य में चिनगारी से ज्वाला का रूप धारण कर सकते हैं। जिनके मस्तिष्क इस दिशा से काम करते हैं, जिनके पास इस दिशा में सहायक सिद्ध होने वाले अनुभव एवं साधन हों, उनसे कुछ ऐसा करने का अनुरोध किया जाना चाहिए कि युग की इस महती आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्साह भरी गतिविधियों का शुभारंभ—सूत्र संचालन संभव हो सके।

लोकरंजन और लोकमंगल का समन्वय

साहित्य के उपरांत विचार परिवर्तन का दूसरा माध्यम है कला। उसके साथ मनोरंजन का आकर्षण जुड़ा रहने से सर्वसाधारण का रुझान उसकी ओर होता है। बाल-वृद्ध सभी की अनायास ही उसमें रुचि रहती है। शिक्षितों की तरह अशिक्षित भी उसमें लाभ उठा लेते हैं। साहित्य में विषयों की विवेचना-व्याख्या होती है, उसे समझने के लिए पाठक की शिक्षा, मनःस्थिति एवं पूर्व जानकारी होनी चाहिए, तब बात गले उतरेगी; अन्यथा किसी पुस्तक या लेख को पढ़ लेने पर भी यही शिकायत बनी रहेगी कि बात समझ में नहीं आई या अरुचिकर लगी, भारी पड़ी। कला के संबंध में यह कठिनाई नहीं है। उसका लाभ हर घड़ी, हर जगह तो नहीं मिल सकता, पर संगीत का माधुर्य, पात्रों का सौंदर्य, कथानक का तारतम्य, दृश्यों का आकर्षण आदि आधार का मिला-जुला

स्वरूप ऐसा बन जाता है जिसके लिए लोग दूर-दूर तक भागते हैं, व्यस्तता में भी समय निकालते और पैसा खर्च करते हैं।

साहित्य और कला की तुलना करके किसी को वरिष्ठ-कनिष्ठ तो नहीं ठहराया जा सकता, पर उन्हें एक-दूसरे का पूरक तो निश्चित रूप से माना जा सकता है। नवयुग के अवतरण का प्रधान माध्यम विचारक्रांति है। इसलिए साहित्य की भाँति ही कला को भी महत्त्व देना पड़ेगा। लोकचिंतन बदलने के लिए इस माध्यम का सुनियोजित उपयोग होना चाहिए। इस संदर्भ में भी हमारी तैयारी व्यापक होनी चाहिए। संसार के छह सौ करोड़ मनुष्यों की स्थिति को सुधारना—उनका स्तर ऊँचा उठाना अपना लक्ष्य है। इसकी पूर्ति के लिए छुटपुट प्रयत्न शुभारंभ की दृष्टि से तो उत्साहवर्धक हो सकते हैं, पर तैयारी सुविस्तृत क्षेत्र को ध्यान में रखकर करनी पड़ेगी। राजनैतिक क्षेत्र-विभाजन की दृष्टि से देश-विदेशों के नागरिकों के बीच आदान-प्रदान और सहयोग के आधार सीमित और प्रतिबंधित हैं। किंतु जहाँ तक व्यक्तित्व को परिष्कृत करने वाले तत्त्वदर्शन का संबंध है, वहाँ तक बहुत ही कट्टर और संकीर्ण देशों को छोड़कर अन्यत्र कोई बहुत बड़े प्रतिबंध नहीं है। अस्तु अपने भूलोक निवासी सभी मनुष्यों को प्रभावित करने वाली योजना भी ध्यान में रखी जा सकती है। इतना न बन पड़े तो भी अपने एक अरब देशवासियों की बात तो ध्यान में रखकर चलना ही है। यह संख्या भी समस्त विश्व का प्रायः छठा भाग है। इतने बड़े जनमानस को प्रकाश देने और प्रवाह को बदलने के लिए आरंभ किये जाने वाले प्रयासों का लक्ष्य-स्वरूप तो स्पष्ट ही रहना चाहिए। आरंभ भले ही छोटे क्षेत्र से या थोड़े परिमाण में किया जाए। कला को विचारक्रांति अभियान के साथ जोड़ने की बात सोचते समय हमारा चिंतन उतना ही सुविस्तृत और दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए।

विचारों को प्रभावित करने में कला के संगीत और अभिनय क्षेत्र ही प्रमुख हैं। यों कहने को तो मूर्तिकला, चित्रकला आदि को भी कला के अंतर्गत माना जाता है। उनका उपयोग प्रमुखतया

सौंदर्य सज्जा के काम ही आता है। विचारों पर छाप डालने की शक्ति उनमें स्वल्प ही होती है। इसलिए यहाँ उनके संबंध में विशेष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। हमें संगीत और अभिनय को प्रधानता देते हुए उन्हें लक्ष्यपूर्ति के लिए किस प्रकार नियोजित किया जा सकता है ? इस समय इतना ही सोचना चाहिए।

यह यांत्रिकी युग है। हर वस्तु का यंत्रीकरण हो रहा है। विज्ञान और बुद्धिवाद ने मिलकर अब ऐसे माध्यम खड़े कर दिये हैं कि व्यक्ति के श्रम कौशल को मशीनें हथियाती चली जा रही हैं। मनुष्य के हाथ में तो उसके आरंभ करने तथा चलाने का अधिकार शेष रह जायगा, ऐसा दीखता है। परिस्थिति के अनुरूप ही हमें सोचना होगा। यांत्रिकी की सुविधा और संभावना इतनी अधिक है कि अब इसे हटाकर हस्त कौशल तक सीमित रहने की बात नहीं सोचनी है। विशालकाय स्वसंचालित मिल-कारखानों से कुटीर उद्योगों के प्राण कैसे बचाये जायें ? उन्हें जीवित कैसे रखा जाय ? इतना सोचना ही पर्याप्त है। अब बड़े यंत्रों को निरस्त करने, उनका स्थान कुटीर उद्योगों को दिलाने की बात सोचने पर तो हम प्रतिद्वंद्विता की घुड़दौड़ में बेतरह पिछड़ जायेंगे। अस्तु यांत्रिकी की अनिवार्यता को एक विवशता के रूप में स्वीकार कर लेना ही युक्तियुक्त है।

संगीत और अभिनय की प्रक्रिया को हमें आँखों के सामने यंत्रबद्ध स्थिति में देखते हैं। संगीत रिकार्डों के रूप में बजता है। ग्रामोफोन पर बजने वाले बड़े रिकार्ड और टेप रिकार्डों के माध्यम से घर-आँगन में सुने जाने वाले टेप आज की गीत-रुचि का बहुत बड़ा अंश पूरा करते हैं। हमें सोचना होगा कि किस प्रकार इन माध्यमों से जन जागृति के लिए आवश्यक आलोक घर-घर पहुँचाना संभव हो सकता है ?

साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत छोटे देहातों में बिखरा हुआ ऐसा सुविस्तृत देश है, जहाँ गरीबी और अशिक्षा का बोलबाला है, वहाँ क्रय शक्ति, यंत्रों के उपयोग एवं सुधार का कौशल बहुत ही स्वल्प है। बिजली भी वहाँ नहीं पहुँच पाई है।

सड़कों के अभाव में वहाँ सभ्यता के उपकरणों की पहुँच आसानी से नहीं हो पाती। इन दूरी और गहराई के इंडीरियर-क्षेत्रों में ही अपने देश की आधी से अधिक जनता रहती है। उनको यंत्र-संगीत का लाभ नहीं दिया जा सकता। उन्हें तो संगीत अभिनय के परंपरागत माध्यमों से ही संतुष्ट किया जा सकता है। फिर स्थानीय क्षेत्रीय भाषायें ही वहाँ लोकप्रिय हो सकती हैं। साहित्यिक भाषा के मर्म को समझ न सकने का बौद्धिक स्तर उन्हें यंत्रबद्ध संगीत का वैसा लाभ नहीं लेने दे सकता, जैसा कि शहरी और सुशिक्षित उठाते हैं। ऐसी दशा में उनके लिए परंपरागत संगीत और अभिनय के माध्यम जुटाने, उन्हें पुनर्जीवित करने की बात सोची जानी चाहिए।

रामलीला, रासलीला, नौटंकी, स्वांग, भजन मंडलियाँ, कीर्तन मंडलियाँ, गीत काव्य, नृत्य सहगान जैसे विभिन्न स्तर के प्रचलन देश भर में पाये जाते हैं। उनके स्वरूप भिन्न-भिन्न हैं। शैली और प्रक्रिया में भी अंतर है। पर वे जन-जीवन को कला के माध्यम से विचार देने की आवश्यकता निश्चित रूप से पूरी करते हैं। मनोरंजन तो वे करते ही हैं—साथ ही उपस्थित लोगों पर अपना प्रभाव भी छोड़ते हैं। पिछले दिनों इन कलामंचों का उपयोग लोगों की माँग पूरी करने की दृष्टि से ही होता रहा है। सरलता भी उसी में है और माँग अधिक होने से लाभ भी। ऐसी दशा में इन कला प्रयोजनों में दो ही उद्देश्य झाँकते पाये जाते हैं। एक-कामुकता को भड़काने वाले प्रसंग, दूसरे, देवी-देवताओं के कौतूहलवर्धक एवं श्रद्धा को स्पष्ट करने वाले गीत अभिनय। यहाँ यह समीक्षा करने का अवसर नहीं है कि उनका प्रभाव-परिणाम कैसा हुआ ? एक शब्द में इतना ही कह सकते हैं कि जिस दिशा में लोकमानस को घसीटकर ले चलना चाहते हैं, उसमें योगदान प्रायः नहीं ही मिला। अब हमें नये सिरे से सोचना चाहिए और उनके पुनर्जीवन का प्रबंध करना चाहिए। इन परंपरागत कला प्रयोजनों ने सुसंचालन के अभाव में समय के अनुरूप स्तर न बदल पाने के कारण प्रायः दम तोड़ दिया है। सिनेमा की प्रतिद्वंद्विता में उनकी अपेक्षा होने लगी

और माँग घटी। ऐसी दशा में कुटीर उद्योगों की तरह उनका भी पराभव ही हो चला। इनको पुनर्जीवित और पुनर्गठित किया जाना चाहिए। उनका स्तर ऊँचा उठाने के लिए विधिवत् प्रशिक्षण विद्यालय में चलने चाहिए। पूना में फिल्म कलाकारों के प्रशिक्षण का प्रबंध हो सकता है, तो परंपरागत संगीत-अभिनय में आधुनिकता के समावेश की शिक्षा का प्रबंध क्यों न किया जाए ? यदि समुचित प्रशिक्षण संभव हो सके और उनके पुनर्गठन में अनुभवी सूझ-बूझ वाले दिमाग लग सकें तो यह कलामंच अपने ढंग से फिर निखरकर आ सकता है। जो क्षेत्र सिनेमा की प्रतिद्वंद्विता से प्रभावित नहीं हुआ है, उसकी कला-अभिनय की माँग सहज ही पूरी कर सकता है। अपनी ढपली अपना राग गाते फिरने—खुद ही बनाने खुद ही बेचने की कठिनाई ने उपयोगी साधनों को भी असफल बना दिया है। यदि इस लोककलामंच को किन स्थानों पर, किस प्रकार, किन शर्तों पर भेजा जाए ? इसकी सुव्यस्थित योजना बनाई जाए और उनके प्रति आकर्षण उत्पन्न करने वाला विज्ञापन किया जाए तो कोई कारण नहीं कि सिनेमा का ठीक प्रतिद्वंद्वी लोकमंच फिर से पुनर्जीवित न किया जा सके। देहाती संगीत के लिए उन क्षेत्रों में संगीत विद्यालय चलने चाहिये। जिनमें स्थानीय वाद्ययंत्रों, ध्वनियों, शैलियों की रक्षा करते हुए आधुनिकता का समावेश किया जा सके। इन विद्यालयों से स्थानीय एवं क्षेत्रीय ऐसे कलामंच का विकास हो सकता है, जो व्यवसायिक उद्देश्य से नहीं, स्वांतः सुखाय स्वयंसेवी एवं प्रतिभा प्रदर्शन की प्रेरणा से ऐसी मंडलियाँ चलाने लगे। अभी भी स्थान-स्थान पर कीर्तन-मंडलियाँ प्रायः इस प्रकार गठित होती और काम करती हैं।

कठपुतली, चित्रप्रदर्शनी, मैजिक लालटेन (स्लाइड प्रोजेक्टर) जैसे कितने ही अन्य माध्यम भी ऐसे हैं, जिनमें आधा विज्ञान और आधा हस्त कौशल है। शीछ-बंदरों के तमाशे यों होते तो मनोरंजन के लिये हैं, पर उनके प्रदर्शनों में भी अवांछनीयता के उन्मूलन एवं आदर्शवादी स्थापना के तत्त्व जोड़े जा सकते हैं। यहाँ तक कि वह बाजीगर जैसे कौतुक-कौतूहल उत्पन्न करने वाले अभिनेता भी

अपनी करामातों की व्याख्या इस तरह कर सकते हैं—उनका स्वरूप ऐसा रख सकते हैं, जिनमें युग की प्रेरणाओं का समावेश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में होता रहे। क्षेत्रीय गीतों की सर्वत्र माँग है। घरेलू उत्सवों में महिलाओं को गाते-बजाते सर्वत्र ही देखा जा सकता है। उन्हें पीढ़ियों पुराने घिसे-पिटे गीतों से काम चलाना पड़ता है, यदि उन्हें युग के अनुरूप गीत उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराये जा सकें तो उस आधार पर भी प्रवाह की एक उपयोगी धारा बहने लगती है। होली आदि के अवसरों पर, विवाह-शादियों में, पर्व-त्यौहारों पर, मेले-ठेलों में पुरुषों के भी गीत, वाद्य, नृत्य आदि चलते हैं, इनमें भी अभीष्ट प्रगतिशीलता का समावेश किया जा सके तो परंपरा को प्रगतिशीलता के संपर्क का लाभ मिल सकता है और उससे जनमानस के परिष्कार में भारी योगदान मिल सकता है।

युग की माँग को पूरा करने वाले ग्रामोफोन-रिकार्डों की एक शृंखला चल सकती है। विचारशील लोगों का सर्वथा अभाव नहीं है। उनकी भी अपनी रुचि और माँग है, पर उसे पूरा करने वाले साधन कहाँ हैं ? ग्रामोफोन-रिकार्ड इन दिनों लोकरुचि को ध्यान में रखते हुए ही बनते हैं। पर लोकरुचि को सर्वथा घटिया ही क्यों मान लिया जाए ? उसमें विचारशील वर्ग नहीं है और उसे उसकी रुचि-अनुरूप सामग्री देने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा क्यों समझा जाए ? यदि प्रेरणाप्रद रिकार्ड बनें तो उन्हें अपनाने वाला बहुत बड़ा वर्ग सामने आ खड़ा होगा। हर व्यक्ति अपनी कुरुचि को छिपकर पूरा करना चाहता है और सुरुचि का आवरण-प्रदर्शन के लिए रखे रहने का इच्छुक है। फिल्म-क्षेत्र में भी यह डर बहुत दिन तक घुसा रहा कि आदर्शवादी तस्वीरें चलेंगी नहीं। जनता उन्हें पसंद न करेगी। पर जब अच्छी फिल्में बनीं और बुरी की तुलना में अधिक चलीं तब भय दूर हुआ और यह जाना गया कि आदर्शवादी माँग सर्वथा मृत नहीं है। उसने भी अपना क्षेत्र बना रखा है और वह इतना बड़ा है, जिसमें कि इस दृष्टि से बनी वस्तुएँ उत्साहपूर्वक खपती रह सकती हैं। ग्रामोफोन-रिकार्डों के बारे में भी यह बात निश्चित रूप से कही जा

सकती है कि सुरुचिपूर्ण निर्माण के लिए इस क्षेत्र में भी बहुत गुंजाइश है और वह पूरी की जानी चाहिए।

फिल्म निर्माण अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। इसे साहित्य-सृजन के समतुल्य ही महत्त्व मिलना चाहिए। यह ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि अपने देश में अखबार पढ़ने वाले पाठक जितने हैं उसकी तुलना में सिनेमा दर्शकों की संख्या कहीं अधिक है। समस्त पत्र-पत्रिकाओं में विचारोत्तेजक लेख छपने लगे और समस्त फिल्मों में प्रेरक तत्त्व घुस पड़े तो दोनों की प्रतिस्पर्धा में सिनेमा का परिणाम कहीं अधिक रहेगा। संख्या की दृष्टि से ही नहीं, प्रभाव की गहराई की दृष्टि से भी सिनेमा आगे रहता है। उसमें दृश्य, कथानक, शोभा, सौंदर्य, संगीत, अभिनय और अनेक तत्त्व मिले रहते हैं और भाव अभिव्यक्त के लिए पूरा अवसर रहता है। इस सबका संयुक्त प्रभाव होना ही चाहिए। हम देखते हैं कि सिनेमा की प्रेरणाएँ नई पीढ़ी के लिए तो प्राणप्रिय बनती ही जाती हैं। इन प्रौढ़ों को भी कम प्रभावित नहीं करती। ऐसी दशा में साहित्य निर्माण योजना की तरह ही फिल्म निर्माण योजना को भी हाथ में लेकर चलना पड़ेगा। अन्यथा उस क्षेत्र में घुसी हुई विकृतियाँ साहित्य-सृजन के सत्परिणामों को भी बर्बाद करती रहेंगी। बुरी फिल्मों की बुराई करते रहने भर से कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता बल्कि उनकी तुलना में अच्छी फिल्में प्रस्तुत करनी पड़ेंगी। जब विवेक के सामने दो वस्तुएँ हों तब ही उनमें से एक का चुनाव करना संभव होगा। जब एक ही पक्ष जमीन से आसमान तक छाया हुआ हो तो आवश्यकता रहते हुए भी अभाव के कारण मन मारे चुप बैठा रहना पड़ेगा। फिल्म उद्योग काफी महँगा है। उसे आरंभ करने में बड़ी पूँजी लगती है। यह ठीक है, पर उद्योगपतियों की निजी अभिरुचि उस ओर तनिक-सी ढुलक पड़े तो अरबों-खरबों रुपयों की पूँजी से जिस प्रकार अन्य उद्योग चलाते हैं, उसी प्रकार इसे भी हाथ में ले सकते हैं। अन्य उद्योगों की तुलना में लाभांश भी इसमें कम नहीं है। युग की माँग पूरी करने का श्रेय इसके अतिरिक्त कोई नहीं है, जबकि अन्य उद्योगों में इस प्रकार

के यश की कोई गुंजाइश नहीं है। कई बार तो नशा-व्यवसाय जैसे कार्यों में जितना पैसा मिलता है, उससे भी अधिक आत्म प्रताड़ना और लोक-भर्त्सना की दुहरी मार सहनी पड़ती है। यदि सुसंपन्न व्यवसायी प्रतिभाओं को तथ्यों से अवगत कराया जा सके तो संभवतः निजी पूँजी इस प्रयोजन के लिए सहज ही प्राप्त हो सकती है। मिलों जैसे लिमिटेड संस्थान तो सहज ही बन सकते हैं और उनके शेयर भी हाथों हाथ बिक सकते हैं।

यदि समृद्ध लोगों में अरुचि दिखाई पड़े तो जन्म स्तर पर भी यह कार्य हो सकता है। बड़ी प्रतिभाओं के अभाव में छोटी प्रतिभाएँ-छोटे-छोटे निर्माण संस्थान खड़े कर सकती हैं और उनके पारस्परिक सघन सहयोग से प्रगति क्रम तेजी से चल सकता है। प्रतिद्वंद्विता की हानि और सहयोग के लाभ से हर कोई परिचित है।

साहित्य फिल्म जैसे क्षेत्रों में भी छोटी प्रतिभाओं द्वारा छोटे-छोटे निर्माण संस्थान बनने लगे और वे परस्पर सहयोग की सुदृढ़ जंजीर से घनिष्ठतापूर्वक मिले रहें तो उस संयुक्त शक्ति से विशाल परिमाण में विशाल उद्योग खड़े करने की कमी अखरेगी नहीं। इन छोटे घटकों के संयुक्त प्रयास से भी लगभग ऐसी ही संभावना बन पड़ेगी जैसी कि बड़े लोगों के बड़े प्रयासों से होने की अपेक्षा की जाती है।

संयुक्त प्रयास के केंद्रीकरण से इस उद्योग के लिए कितनी ही आवश्यकताएँ सरलतापूर्वक और सस्ते मूल्य में जुटाई जा सकती हैं। निर्माण के लिए स्टूडियो केंद्रीय प्रयास से बनें। कलाकारों को प्रशिक्षित कराने से लेकर स्थायी नियुक्ति तक का कार्य निर्माण केंद्र करे। वही विभिन्न घटकों की आवश्यकता के अनुरूप कलाकारों की एवं निर्देशन की, कच्चे माल की, यंत्रों की मरम्मत, साज-सज्जा आदि की व्यवस्था जुटाता रहे। ऐसी व्यवस्था बन जाने पर अबकी अपेक्षा निर्माण की लागत आधी रह जायगी। कौन क्या बनाये ? किस क्षेत्र की, किस वर्ग की ? क्या आवश्यकता पूरी करे ? इसकी नीति पहले ही निर्धारित कर ली जाए तो प्रतिस्पर्धा का कोई कारण नहीं रहेगा। प्राइवेट बसों और

टैक्सियों वाले जब यूनियन बनाकर सवारी ढोने का काम व्यवस्थापूर्वक चला सकते हैं और मुनाफे का बँटवारा करके अनेक झंझटों और विद्वेषों से मुक्त रह सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि आदर्शवादी फिल्म उद्योग के छोटे घटकों को ऐसे केंद्रीय गठन करते हुए चलने में कोई आपत्ति हो। यह नीति फिल्म और साहित्य दोनों उद्योगों में समान रूप से अपनाये जाने योग्य है। आवश्यकतानुसार फालतू पूँजी का भी एक घटक दूसरे के साथ आदान-प्रदान करता रह सकता है। इस प्रकार इस केंद्रीय संगठन की एक सहकारी बैंक भी पारस्परिक हितों की पूर्ति के लिए चलती रह सकती है। आयात-निर्यात के बड़े प्रयोजन भी इसके माध्यम से पूरे होते रह सकते हैं। उत्पादन के वितरण की व्यवस्था इस केंद्र के साथ में देकर सभी घटक प्रतिद्वंद्विता से बचे रहकर निश्चिततापूर्वक अपना काम चलाते रह सकते हैं।

प्राचीन इतिहास-पुराणों के कथानकों के साथ आज की समस्याओं के समाधान जोड़ने का अभिनव आधार ऐसा है, जिसमें चिर प्राचीन और चिर नवीन की संगति भली प्रकार बैठाई जा सकती है। इसमें संस्कृति की रक्षा भी है और प्राचीनता की गरिमामयी तेजस्विता का संरक्षण भी। फिल्में इसी आधार पर बनें, जिसमें अपने गौरव भरे अतीत के प्रति श्रद्धा को अक्षुण्ण रखते हुए विकृतियों से जूझने और उत्कृष्टताओं के संस्थापन के लिए शौर्य, साहस भरा मार्गदर्शन मिल सके। अपने इतिहास-पुराणों में ऐसे असंख्य प्रसंग भरे पड़े हैं, जिन्हें थोड़ा-सा रंग देकर आज के समाधानों में भली प्रकार 'फिट' किया जा सकता है। यह अथवा इससे मिलते-जुलते अन्य आदर्शवादी आधार कथानकों के लिए निर्धारित किये जा सकते हैं। इतिहास विशेषज्ञों एवं संस्कृति मर्मज्ञों का सहयोग इस प्रयोजन के लिए सहज ही संभव हो सकता है।

प्रस्तुत फिल्म निर्माण के लिए किन क्रिया-प्रक्रियाओं को छोड़ा-अपनाया जाए, यह उस विषय के विशेषज्ञों के परामर्श से ही परिस्थितियों के अनुरूप निर्धारण किया जा सकता है। इन पंक्तियों में इतनी बारीकियों में जाने की आवश्यकता नहीं। अभी तो हमें

रूपरेखा बनाने और उसके लिए साधन जुटाने की बात सोचनी चाहिए। अर्थव्यवस्था वाला प्रकरण सर्वप्रथम है। दूसरा उन अनुभवी-प्रतिभाओं का सहयोग प्राप्त करने की बात है, जो प्रचलित ढर्रे से आगे-पीछे हटकर मौलिक सूझ-बूझ का परिचय दे सकें। मितव्ययता के साथ-साथ उच्चस्तरीय कला-शालीनता का समन्वय कर सकना ही इस अभिनव प्रयास के लिए सुयोग्य होने का चिह्न माना जायेगा। जमीन-आसमान का मोल माँगने वाले अभिनेता तथा साज-सज्जा पर होली की तरह जलाया जाने वाला धन—इन नये प्रयासों में किसी भी प्रकार सहन नहीं किया जा सकता है। सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत इस विलासी व्यवसाय में किसी हद तक समविष्ट किये जा सकते हैं, यही सिद्ध करना अपनी मौलिकता होनी चाहिए। स्वयंसेवी कलाकार और सौम्य-सात्त्विक साज-सज्जा भी कला के गौरव को ऊँचा रखे रह सकते हैं। इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए नये युग के फिल्म निर्माताओं को आदि से अंत तक परिष्कृत दृष्टिकोण का परिचय देना पड़ेगा। इस संदर्भ में पिछले पचास वर्ष के अनुभवों में से मात्र यांत्रिकी अनुभव ही काम के हो सकते हैं। चालू ढर्रे की तो एक प्रकार से भुलाकर ही नये चिंतन की आधारशिला पर खड़ा हो पाना बन पड़ेगा।

देहातों के लिए चलते-फिरते सिनेमाघर इधर से उधर सरकसों की तरह खदेड़े-घसीटे जा सकते हैं। पैंतीस मिलीमीटर की भारी मशीनें और बड़े पर्दे छोटे क्षेत्रों के लिए बेकार हैं। सोलह मिलीमीटर के वे सिनेमा जो सरकारी प्रचार के लिए देहातों में भेजे जाते हैं उपयुक्त हैं; उन्हें दो-सौ, पाँच-सौ व्यक्ति आसानी से देख सकते हैं। जहाँ बिजली नहीं है, वहाँ छोटे जनरेटर साथ ही ले जाये जा सकते हैं। गाँव-कस्बे के लिए यही योजना अधिक व्यावहारिक है। ऐसे फिल्म बनाना सस्ता भी पड़ेगा। ढाई-तीन घंटे की अपेक्षा इन कहानियों के लिए दो घंटे का समय पर्याप्त है। फिल्म निर्माण के साथ-साथ यदि चलते-फिरते सिनेमाघर भी अपने ही बनाये जा सकें, तो उससे दिखाने वाले सिनेमाघर—वितरणकर्ता (डिस्ट्रीब्यूटर) की अलग से आवश्यकता न रहेगी। मुनाफा कई

जगह बँटने तथा आदर्शों-रुचियों की खींचतान होने की अपेक्षा पूरा तंत्र एक नियंत्रण में रहेगा तो निर्माण से लेकर प्रदर्शन तक की सारी गतिविधियाँ एक दिशा धारा पर चलेंगी। साथ ही घाटा पड़ने जैसी कोई आशंका न रहेगी। सस्तेपन के कारण यह प्रदर्शन छोटे देहातों में, हाट-बाजारों में, मेले-ठेले में भली प्रकार सफल हो सकते हैं। लागत कम होने से टिकट भी सस्ते ही रखे जायेंगे और वे अपने साथ जुड़े सदुद्देश्यों एवं प्रखर कलाकारों के कारण सफल भी अच्छी तरह होंगे।

कला को विचारक्रांति के साथ जोड़ने के संदर्भ में यह कुछ थोड़े से सुझाव हैं। इन्हें पर्याप्त या अंतिम नहीं कहा जा सकता। सोचने की यह एक दिशा है। इसे अपनाकर आगे की बात सोची, अपनायी और सुधारी जा सकती है। उपयोगिता और आवश्यकता को समझ लेने पर उनके योग्य पृष्ठभूमि बनाना कुछ बहुत कठिन नहीं रह जाता।

श्रद्धा सद्भावना का संवर्धन— धर्मतंत्र के सहारे

जनमानस के परिष्कार के लिए विकृत चिंतन की हानियाँ समझाया जाना आवश्यक है। साथ ही उसका पूरक पक्ष यह भी हृदयंगम कराया जाना है कि यदि हमारी विचार पद्धति में उत्कृष्टता के तत्त्वों का समावेश हो सके तो प्रस्तुत कठिनाइयों से किस प्रकार पीछा छुड़ाया और समस्याओं को सुलझाया जा सकता है ? उल्टे को उलट देने से वह सीधा हो जाता है। विचारक्रांति अभियान का तात्पर्य यही है कि इन दिनों संकीर्ण स्वार्थपरता, नैतिक मूल्यों की अवहेलना, मानवी मर्यादाओं के उल्लंघन की उच्छृंखलता, निष्ठुर दुष्टता, विलासी-लोलुपता, उद्धत अहंमन्यता का जो प्रवाह बह रहा है, उसे उलट दिया जाए। अविवेक के अंधकार में भटकते हुए लोग कुरीतियों, मूढ़ मान्यताओं, अंधविश्वासों के जाल-जंजाल में बेतरह उलझ गये हैं और परंपराओं के नाम पर ऐसे प्रचलनों को अपनाये हुए हैं, जिनकी न कोई उपयोगिता है और

न आवश्यकता। इन भूल-भुलैयाँ में समय, शक्ति और साधनों का असीम अपव्यय होता है, फिर भी अभ्यस्त आदतें छोड़ते नहीं बनती। निरर्थकता सूझ तो पड़ती है, पर अवांछनीयताओं को बुहार फेंकने का साहस नहीं जुटता है। यथा स्थिति बने रहने से शांति दीखती है। परिवर्तन के लिए जिस उथल-पुथल की आवश्यकता पड़ती है, उसमें अशांति दिखती है और डर लगता है। आत्महीनता का अवसाद अवांछनीयताओं के और दानवी दुष्टता का अहंकार उद्दंडताओं के रूप में तांडव नृत्य करते हुए देखा जा सकता है। यही है अपने युग की असंख्य उलझनों और विपत्तियों का एकमात्र कारण। विपत्तियों का स्वरूप तो बाहरी उलझनों के रूप में दीखता है, पर उसकी जड़ें चिंतन की विकृति में घुसी हुई हैं। चिंतन का परिमार्जन परिष्कार किये बिना प्रगति का प्रयोजन हल नहीं हो सकेगा। विकृत दृष्टिकोण अपनाये रहने पर जीवन के हर क्षेत्र में, समाज के हर पक्ष में छाई हुई समस्याओं में से एक का भी स्थायी समाधान न हो सकेगा। सामूहिक उत्कर्ष की, उज्ज्वल भविष्य की, शांति और स्थिरता की आकांक्षा तब तक पूरी न हो सकेगी, जब तक विकृत चिंतन के उन्मूलन के लिए परशुराम जैसा शिरच्छेद करने वाला विचारक्रांति का कुल्हाड़ा पूरी गति के साथ सक्रिय न किया जाए।

कहा जा चुका है कि इसके लिए प्रचारात्मक साधनों को गतिशील करने की सर्वप्रथम आवश्यकता है। साहित्य और कला के अस्त्र-शस्त्र इस प्रयोजन के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। आस्थाओं को, अभिरुचियों को, भावनाओं को स्पर्श करने और दिशा देने की मौलिक शक्ति उस तत्त्वदर्शन में है, जिसे धर्म एवं अध्यात्म कहते हैं। बोलचाल की भाषा में इन दोनों को सभ्यता एवं संस्कृति कहा जा सकता है। धर्म आचरण और अध्यात्म चिंतन की पृष्ठभूमि बनाता है। इसलिये इन माध्यमों को लोकमानस के परिष्कार में शक्तिशाली उपाय के रूप में कार्यान्वित किया जा सकता है। प्राचीनकाल में इन्हीं माध्यमों को सर्वोपरि मान्यता मिली थी और मानवी व्यक्तित्वों को चरम उन्नति के स्तर तक पहुँचाया गया था।

आज भी इनका अवलंबन प्राचीन काल की तरह किया जा सकता है और वैसा ही वातावरण फिर वापस लाया जा सकता है, जैसाकि हमारे गौरव भरे अतीत के रूप में चिरकाल तक छाया रहा।

धर्ममंच से लोकशिक्षण की प्रक्रिया अपनी चिर प्राचीन और चिर नवीन संस्कृति का समन्वय करती है। भौतिक उपायों से उथल-पुथल करने से विद्रोही स्वर उभरते और आक्रोश भरे संघर्ष खड़े होते हैं। घृणा की आत्मा ही ऐसी उत्तेजना कर सकती है, जिसके सहारे क्रांतिकारी उलट-पुलट संभव हो सके। यह इस उपाय-उपचार से, सामयिक उपचार से हो जाता है। अवांछनीयता के उखाड़ने में तात्कालिक सफलता मिल जाती है, पर उभरा हुआ आक्रोश अपनी मूल प्रकृति की गहरी छाप लोगों के स्वभाव में सम्मिलित कर जाता है। फलतः प्रकृति नये उपद्रव खड़े करती और नई समस्याएँ गढ़ती हैं। रोगों का मारने के लिए विषाणुनाशक औषधियाँ खाई जाती हैं। इससे रोग का उभार तो रुक जाता है, पर वे मारक औषधियाँ शरीर में नये-नये उपद्रव खड़े करती हैं। ठीक इसी प्रकार अवांछनीयताओं के विरुद्ध आक्रोश भरे संघर्ष मानवी प्रकृति में ऐसे तत्त्व भर देते हैं, जो अभ्यास में आने पर शांति और व्यवस्था के लिए घातक सिद्ध होते हैं। लड़ाकू आदत को जब शत्रु नहीं मिलते तो मित्रों से ही झगड़ने लगती है। इस कठिनाई से बचने के लिए धर्मतंत्र से लोकशिक्षण की पद्धति अधिक सुरुचिपूर्ण, अधिक सौम्य एवं अधिक सार्थक सिद्ध होती है। प्रकाश उत्पन्न करके अंधेरे को दूर करना अथवा अंधेरे की जड़ें उखाड़ने के लिए प्रकाश जलाना तत्त्वतः एक ही उद्देश्य पूरा करते हैं। अंतर मात्र विधेयात्मक और निषेधात्मक दृष्टिकोण का है। धर्ममंच से लोकशिक्षण की प्रक्रिया जिस शालीनता को श्रद्धा-संवर्धन के साथ-साथ सुविकसित करती है, उसी की प्राप्ति के लिए विद्रोही स्वर घृणा उभारते और संघर्ष खड़ा करते हैं। स्थिति असह्य हो जाने पर इस प्रकार के तीखे उपचार भी आवश्यक हो जाते हैं और उन्हें विवशता की स्थिति में—अपवाद की तरह अपनाना भी पड़ता है। फोड़ा बहुत कष्टकर हो तो

ऑपरेशन की अनिवार्यता से भी इनकार नहीं किया जाता, पर सामान्य प्रक्रिया यही है कि रक्त को शुद्ध रखा जाय और एवं रक्त शोधन का सौम्य उपचार अपनाया जाए। धर्ममंच का उपयोग शालीनता की स्थापना के लिए होता रहा है। इससे भी बहुत हद तक युग की विकृतियों का उन्मूलन और देव संस्कृति के संस्थापन में महत्त्वपूर्ण योगदान मिल सकता है।

युग निर्माण योजना द्वारा जनमानस के परिष्कार का समर्थ उपाय धर्ममंच से लोकशिक्षण अपनाया गया है। पिछले पचास वर्षों में इस प्रयोग-परीक्षण ने जो उत्साहवर्धक सफलता प्रदान की है, इससे यह विश्वास सुदृढ़ हुआ है कि उस उपाय का यदि अधिक व्यापक और अधिक सुव्यवस्थित रीति से अवलंबन किया जाय तो अभीष्ट परिवर्तन का उद्देश्य अधिक सरलता और अधिक सफलता के साथ संपन्न हो सकता है। प्रगति थोड़ी मंद हो तो भी यह सोचकर धैर्य और संतोष किया जा सकता है कि इस आधार को अपनाये रहने पर मानवी गरिमा के लिए जीवन-प्राण जैसा आवश्यक श्रद्धा तत्त्व जीवित बना रहेगा। संघर्ष से आस्थायें उखड़ती हैं और फिर चेतना की आदत सर्वत्र अविश्वास करने, आशंका रखने और छिद्रान्वेषण करने की बन जाती है। ऐसी असंतुष्ट मनःस्थिति में उच्चस्तरीय आदर्शों के प्रति वैसी सघन श्रद्धा जमना अति कठिन हो जाता है, जिसके सहारे सामान्य मनुष्य महामानव बनते और ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले त्याग-बलिदान भरे अनुकरणीय आदर्श उपस्थित करते हैं। प्रकारांतर से यह हानि भी लगभग उसी स्तर पर जा पहुँचती है, जिससे कि अवांछनीयताओं के कारण कष्ट सहने पड़ रहे थे। धर्मतंत्र से लोकशिक्षण की पद्धति में जोश-खरोश की उत्तेजना तो नहीं है, पर उनमें उस सृजन के समस्त तत्त्व मौजूद हैं, जिन्हें हम धरती पर स्वर्ग के अवतरण, रामराज्य, धर्मराज्य, सतयुग आदि के नाम से मूर्तिमान् देखने की अभिलाषा सँजोये हुए हैं।

भारतीय समाज में यह प्रयोग अतीत के लाखों वर्षों से सफलतापूर्वक चला है। उसके सत्परिणामों के साक्षी इतिहास के

पत्रे पर अंकित हैं। वस्तुतः उस गौरव-गरिमा के पीछे उत्कृष्ट धर्म-धारणा ही झाँकती देखी जा सकती है। मध्यकाल के अंधकार युग में समाज के हर क्षेत्र में विकृतियों का अंधाधुंध प्रवेश हुआ है। उन्होंने कोई क्षेत्र अधूरा नहीं छोड़ा। ऐसी दशा में धर्म क्षेत्र ही उससे प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकता है ? आज उस क्षेत्र में प्रतिगामिता, झूठी मान्यता एवं धूर्तता का बोलबाला देखते हुए अश्रद्धा उत्पन्न होती है और अनुपयोगिता लगती है, पर वस्तुतः वैसी बात नहीं। रोगी हो जाने पर तो अपना शरीर भी कैसा धिनौना और अशक्त बन जाता है ! पर इतने से ही उसका परित्याग न कर रोग को मारने और रोगी को बचाने की नीति अपनाई जाती है। इसी प्रकार धर्म क्षेत्र में घुसी हुई विकृतियों को तो सिर के बालों में घुसे हुए जुओं की तरह खदेड़ना चाहिए। इसके लिए इतना अत्युत्साह निरर्थक है, जिसमें जुएँ मारने के उद्देश्य से सिर ही काट डाला जाए। धर्म क्षेत्र की विकृतियों को थोड़े साहस और प्रयास के साथ आसानी से भगाया जा सकता है। इसी प्रकार प्रयत्नशील पुरुषार्थ और दूरदर्शी विवेक के सहारे फिर उसे प्राचीनकाल जैसी उच्च स्थिति में लाया जा सकता है, जिसमें मनुष्य के सर्वतोमुखी विकास में उसका असाधारण योगदान मिलता रहे।

हम पिछले पचास वर्षों से इसी प्रयत्न में संलग्न रहे हैं। उलट-पुलटकर कितने ही प्रयोग परीक्षण करते रहे हैं। उनकी भली-बुरी प्रतिक्रियाओं पर अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से पर्यवेक्षण करते रहे हैं। इस अनुभव के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इस बुद्धिवादी, विज्ञानवादी और प्रत्यक्षवादी युग में धर्म प्रक्रिया की गरिमा और उपयोगिता में कोई अंतर नहीं आया है। हाँ, उसकी क्रिया-प्रक्रिया का उपयोग—सामयिक समाधानों को ध्यान में रखते हुए करने की दूरदर्शिता का समावेश उसमें अवश्य रखना पड़ेगा। इतना कर लेने पर उसका लाभ अशिक्षितों से लेकर सुशिक्षितों तक सभी भली प्रकार समान रूप से उठा सकेंगे।

लोकमानस में श्रद्धा तत्त्व को जमाये रखा जाना चाहिए। उसी के आधार पर मनुष्य में ऋषिजन्य भावनायें उभरती हैं और देवोपम गतिविधियाँ अपनाए की उमंगें उठती हैं। भावना, मानवी सत्ता का सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। युग परिवर्तन के लिए जिन सद्विचारणाओं और सत्प्रवृत्तियों के अभिवर्धन की आवश्यकता है। उनको प्रतिष्ठापित कर सकना जीवंत सद्भावना के लिए ही संभव है। सद्भावनाओं का, उच्च स्तरीय आस्थाओं का आरोपण और अभिवर्धन ही धर्मतत्त्व का एकमात्र लक्ष्य है। व्यक्ति का मूल्य इसी आधार पर बढ़ता और समाज में प्रगति का प्रवाह इसी मार्ग से बहता है। धर्म-श्रद्धा शब्द यदि प्रस्तुत विकृतियों के कारण बदनाम हो गया हो और चिढ़ उत्पन्न करता हो तो उसके स्थान पर उत्कृष्ट आदर्शवादी आस्था कहा जा सकता है या कोई और नाम दिया जा सकता है। जो हो, जनमानस में उत्कृष्ट आस्थायें जमी रहने पर ही सत्प्रवृत्तियों के उभरने की आशा की जा सकती है। अस्तु, नवयुग के निर्माण की बात सोचते समय हमें धर्मतत्त्व को जीवंत और सक्रिय रखने की आवश्यकता भली प्रकार समझ लेनी चाहिए। सामाजिक-राजनैतिक आधारों पर भी व्यक्ति के उत्कृष्ट बने रहने की बात कही जा सकती है, पर वस्तुतः वे थोथी दलीलें हैं। अंतरात्मा के मर्मस्थल तक—धर्म-श्रद्धा स्तर की प्रगाढ़ आस्थाएँ, यदि वे जमी न रह सकीं तो मनुष्य श्रेष्ठता को नीति की तरह भले ही अपना ले, उसे आंतरिक प्रेरणा जैसा प्रबल न बना सकेगा। इसके अभाव में कोई भी मनुष्य इस स्तर तक ऊँचा न उठ सकेगा कि संपर्क क्षेत्र में सम्मान और विश्वास प्राप्त करके कोई स्मरणीय महान् कार्य कर सके। विवेक सम्मत सत् श्रद्धा को परिपुष्ट करना जितना सरल धर्मतंत्र के सहारे हो सकता है, उतना अन्य किसी प्रकार नहीं। इसे जनमानस की भाव-संपदा का उत्पादन और अभिवर्धन मानकर चला जा सकता है।

हिंदू धर्म के क्षेत्र में धर्ममंच से लोक शिक्षण का कार्य हम करते रहे हैं और इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अन्यान्य धर्मों में भी इसी आधार पर अपने-अपने ढंग से प्रयोग होने चाहिए। सबकी

अपनी-अपनी भिन्नता, मौलिकता, विशेषता बनी रहे। धर्मतत्त्व-सार्वभौम, सर्वजनीय, सनातन एवं शाश्वत है। मात्र उसके कलेवरों में ही देश काल के अनुरूप भिन्नता पाई जाती है। इन प्रथा-परंपराओं में सदा से समय-समय पर परिवर्तन होते रहे हैं और यह क्रम अनंत काल तक चलता रहेगा। जो प्रथाएँ असामयिक, अनावश्यक हो गई, उनकी उपेक्षा की जा सकती है। सर्वोपयोगी अंशों को उभारा जा सकता है और उससे भावनात्मक परिष्कार में भारी सहयोग लिया जा सकता है। संसार में अनेकों धर्म हैं। उनमें से हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, यहूदी, पारसी आदि प्रमुख हैं। दो तिहाई जनता पर इनका प्रभाव है। इस प्रभाव से प्रेरित होकर लोग समय, श्रम, मनोयोग और धन भी प्रचुर परिमाण में धर्म प्रयोजनों के लिए लगाते हैं। इस प्रभाव को उत्कृष्टतावादी रचनात्मक दिशा देने के लिए प्रयत्न किया जा सके तो निश्चय ही उस नियोजन से मनुष्य जाति का भारी हितसाधन हो सकता है।

धार्मिक प्रथा परंपराओं की, मान्यताओं की, कर्मकांडों की, कथा पुराणों की, धर्मशास्त्रों की व्याख्या विवेचनाएँ प्रगतिशील आधार अपनाकर सहज ही की जा सकती हैं। पर्व त्यौहारों का, क्रिया-कृत्यों और अनुष्ठानों का स्वरूप थोड़ा-सा मोड़ देने पर ऐसा उपयोगी बन सकता है कि उससे जनमानस के परिष्कार का आधार भली प्रकार बन सके। वे प्रयोग असफल रहे हैं, जिनमें अन्य धर्मों को मिटाकर अपना एक ही धर्म विश्वव्यापी देखने की महत्वाकांक्षाओं ने बुरे से बुरे कुकृत्य कराये हैं। इस प्रयत्न में आतंक और प्रलोभन के सारे दवाब असफल हो गये। प्रचार के कथनोपकथन तो सफल होते ही कैसे ? दूसरे वे प्रयोग भी असफल रहे हैं, जिनमें सर्वधर्म समन्वय की चेष्टा की गई है। विभिन्न आकार-प्रकार के जीव-जंतुओं के अंग-प्रत्यंग जोड़कर एक नया प्राणी बनाने का प्रयत्न जिस प्रकार उपहासास्पद रहता, उसी प्रकार सब धर्मों का एक टुकड़ा इकट्ठा करके एक नये धर्म का सृजन करना यह भी ऐसी कल्पना है, जिसे पूरा करने के लिए अनेकों ने प्रयत्न किये और वे सभी निराश होकर बैठ गये। कारगर

एक ही उपाय हो सकता है कि सब धर्म अपने-अपने स्थान पर कायम रहें। वे सभी अपने भीतर की विकृतियों की, अनुपयोगी मान्यताओं की उपेक्षा करना स्वयं ही आरंभ कर दें। जहाँ-कहीं परस्पर टकराने वाले तत्व हैं, उन पर जोर न दें। एक-दूसरे के पूरक और सहयोगी बनकर रहें। गुलदस्ते में कई तरह के फूल जब मिल-जुलकर शोभा-साधन बन सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि धर्मों का पारस्परिक सहयोग सद्भाव मिल-जुलकर मानवी गरिमा को बढ़ाने वाली स्थापनाओं के लिए मिल-जुलकर कदम न बढ़ा सकें।

युग निर्माण परिवार के छोटे से क्षेत्र में हिंदू धर्म की परंपराओं को युग के अनुरूप ढालने में जिस प्रकार प्रयत्न किया है, उस प्रयोग परीक्षण से अन्य धर्मावलंबी भी लाभ उठा सकते हैं। इस प्रयास में से जिसके लिए जितना उपयोगी रहे, वह उसमें से उतना प्रयोग में ला सकता है। यह कार्य ऐसा है—जिसे उसी धर्म की मूर्धन्य प्रतिभाओं को अपने हाथ में लेना चाहिए। बाहर के लोगों पर हस्तक्षेप करने जैसे आक्षेप लगाये जा सकते हैं। शंकाशीलता की मानवी-दुर्बलता को ध्यान में रखते हुए उचित यही है कि हर क्षेत्र अपने आप ही, अपने लोगों द्वारा सुधार-परिष्कार की प्रक्रिया आरंभ करें। स्वामी दयानंद, मार्टिन लूथर, बहाउल्ला आदि अनेकों सुधारकों ने अपने-अपने क्षेत्र में फैली विकृतियों की कटु आलोचना की और उनको सुधारने में बहुत हद तक सफलता भी मिली। यही कार्य यदि अन्य धर्मावलंबी एक-दूसरे के धर्मों को सुधारने के लिए करते तो उलटी प्रतिक्रिया होती। अस्तु, समस्त मानव जाति में सद्भाव-श्रद्धा के संवर्धन के लिए सभी धर्मक्षेत्रों में प्रयत्न आरंभ किये जाने चाहिए। हिंदू धर्म के क्षेत्र में जो कार्य युग निर्माण योजना करती रही है, उसकी प्रारंभिक रूपरेखा अन्यान्य धर्मों के लिए भी प्रस्तुत करने का विचार है। यह प्रयास मात्र इसलिए होगा कि उस आधार पर उन-उन धर्मों के क्षेत्र में अधिक उत्साहपूर्वक अधिक तैयारी के साथ अधिक स्पष्ट आधार सामने रखते हुए कार्य आरंभ किया जा सके।

धर्मशक्ति का उपयोग जन-मानस के परिष्कार के लिए अत्यंत सरलता और सफलतापूर्वक किया जा सकता है। सत्श्रद्धा और सद्भावना के सहारे ही नवयुग की सुखद संभावनाओं को मूर्तिमान् किया जा सके। इसके लिए नया तंत्र खड़ा करने की अपेक्षा यही अधिक सुविधाजनक है कि वर्तमान धर्म-संप्रदायों की मूर्धन्य सत्ताओं को युग की आवश्यकता पूरी करने के लिए सहमत किया जाए अथवा ऐसे लोगों को धर्म मंच के सुसंचालन के उत्तरदायित्व सौंपा जाए, जो मानवी अंतःकरण को प्रभावित करने वाली भाव-सरिता की भागीरथी जनमानस में बहाने की उपयोगिता समझते हैं और उस महती शक्ति के उचित उपयोग में अपनी कुशलता का परिचय दे सकें।

नव निर्माण की पाँच प्रमुख संरचनायें

बौद्धिक प्रशिक्षण से जानकारियाँ मिलती हैं। जिधर ध्यान नहीं था उधर ध्यान जाता है। अभ्यास में आई हुई अवांछनीयताओं के दुष्परिणामों को अधिक अच्छी तरह-हृदयंगम कराने और उन्हें छोड़ने की आतुरता उत्पन्न करने में प्रगतिशील विचारणा से बड़ी सहायता मिलती है। इसी प्रकार जिन सद्गुणों को, सत्प्रवृत्तियों को अपनाने में उत्साह नहीं उठ रहा था, उनके प्रति आकुलता उत्पन्न करने का प्रयोजन भी ज्ञान यज्ञ के आलोक में संभव हो सकता है। मस्तिष्क को दिशा देना, औचित्य के लाम और अनौचित्य के दुष्परिणामों को अच्छी तरह समझा जा सके तो कुमार्ग एवं भटकाव को छोड़कर सन्मार्ग अपनाने की सहज इच्छा उत्पन्न होती है। इस इच्छा के साथ-साथ यदि संकल्पों की प्रखरता जुड़ सके तो उनके कायान्वित होने पर भी देर नहीं लगती। सत् प्रशिक्षण बीज है, जिसे यदि ठीक तरह बोया, सींचा, निराया, सँभाला और रखाया जा सके तो समयानुसार उसके सत्परिणाम सामने आते हैं। बीजारोपण की भाँति ही विचारक्रांति के ज्ञान यज्ञ को, लोकशिक्षण के उज्ज्वल भविष्य के सृजन करने के प्रयास में सर्वप्रथम और सर्वोपरि आवश्यकता माना गया है।

इतने पर भी यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि बीज बोने भर का कार्य पूरा करके सत्परिणाम के संबंध में निश्चित नहीं हुआ जा सकता। अकुरित होने से लेकर फलित होने तक के मध्यवर्ती समय में किसी कुशल माली को क्या-क्या करना पड़ता है, उन गतिविधियों के भी ध्यान में रखकर चलना होगा। उन्हें अपनाया जाना भी बीजारोपण से कम महत्वपूर्ण नहीं है। प्रशिक्षण के प्रचारात्मक प्रयत्नों के साथ-साथ ऐसे रचनात्मक काम हाथ में लेने की आवश्यकता है, जिनसे लोकमंगल का प्रत्यक्ष लाभ तो मिले ही, साथ ही उन सत्प्रयत्नों में संलग्न व्यक्तियों का व्यक्तित्व भी सद्भावनाओं और सत्प्रवृत्तियों को अपना सकने में समर्थ बनता रहे। मान्य तथ्य है कि विचारों और कामों का समन्वय होने से व्यक्तित्व बनता है, संस्कार जमते हैं और वह संस्कार ही किसी व्यक्ति का वास्तविक मूल्य एवं वजन समझे जा सकते हैं। मात्र सद्विचारों को सुन-समझ लेना और उन्हें याद करके दूसरों को सुनाने लगना कुछ कठिन काम नहीं है। यदि इतने से ही बात बनी होती तो वक्ताओं और लेखकों ने मिलकर अब तक अपनी मर्जी का संसार बहुत पहले ही बना लिया होता। विचार और कर्म के एकरूप और सुसंबद्ध होने पर ही व्यक्तित्व की उत्कृष्टता का निर्माण होता है और उसी शक्ति के सहारे कोई महत्वपूर्ण कार्य बन पड़ते हैं। ठोस कार्य होने की संभावना इसी समन्वय पर निर्भर रहती है।

नव निर्माण के लिए हमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हाथ में लेने होंगे, जिनसे समाज की सामयिक आवश्यकता पूरी होती हो और जिनसे सेवा बुद्धि से लगने वालों की आंतरिक महानता बढ़ती हो। ऐसे कार्यों की शृंखला बहुत बड़ी है। उन सभी की उपयोगिता एवं आवश्यकता है। पर एक साथ सभी कार्य हाथ में नहीं लिये जा सकते। कुछ चुने हुए रचनात्मक कार्य ही अपने प्रथम चरण में अपनाये जाने चाहिए। उनमें सफलता मिले, उनमें यदि समुचित जनशक्ति और साधन शक्ति जुट सके तो फिर अन्य कार्यों को हाथ में लेते चलने में हर्ज नहीं है। आरंभ में ही बिखरे हुए अनेकों

काम हाथ में ले लिये जायें तो उनमें से ठीक तरह कोई भी पूरा न हो सकेगा। अधूरे कामों को छोड़ने में शक्ति का अपव्यय भी है और करने वालों की अप्रतिष्ठा भी।

कुछ रचनात्मक कार्य ऐसे ही हैं, जिनकी आवश्यकता और गरिमा अनेक दृष्टियों से इस योग्य है कि उन्हें प्राथमिकता मिले। इनमें से (१) शिक्षा प्रसार, (२) कुटीर उद्योगों का विस्तार, (३) सहकारी प्रचलन, (४) जीवन साधना, (५) श्रम-सेवा। यह पाँच काम ऐसे हैं, जिन्हें बिना एक क्षण बर्बाद किये तत्काल हाथ में लिये जाने की आवश्यकता है। सेवा भावना जगाकर सृजनात्मक प्रयोजनों के लिये जो समग्र श्रम एवं धन जुटाया जाए। वह प्रचार तंत्र की आवश्यकता पूरी करते हुए इन कार्यों में भी लगना चाहिए। साहित्य, कला, धर्मतंत्र जैसे कार्य तो एक सूत्र में बँधकर ही ठीक तरह चल सकते हैं, पर यह पाँचों रचनात्मक कार्य ऐसे हैं, जिन्हें स्थानीय स्थिति के अनुरूप छोटे-छोटे आधार बनाकर कहीं भी आरंभ किया जा सकता है।

१. शिक्षा प्रसार

अपने देश में मात्र पैंतीस प्रतिशत शिक्षित हैं। शेष पैंसठ प्रतिशत जनता निरक्षर है। अपढ़ को बौद्धिक दृष्टि से अंधों में गिना गया है, उसकी जानकारी सुने आधार तक ही सीमित रहती है। ज्ञान स्रोत तो सत्साहित्य के आधार पर ही खुलते हैं। शिक्षा को रोटी के बाद दूसरा स्थान दिया जाता है। इस आवश्यकता की पूर्ति जन-स्तर पर ही हो सकती है। सरकार के लिए तो स्कूली बच्चों के लिए स्थान और साधन जुटाना कठिन पड़ रहा है, फिर इन पैंसठ प्रतिशत को पढ़ाने के लिए उनसे कितनी आशा की जाए ? अशिक्षा निवारण का उद्देश्य स्वेच्छा सहयोग की सेवा उदारता के आधार पर पूरा किया जा सकता है।

निरक्षरता निवारण अपने देश की सबसे बड़ी समस्या है। प्रौढ़ों में से प्रायः ऐसे हैं, जिन्हें न लिखना आता है न पढ़ना। वृद्ध, अपंग छोटे बालक इनके अतिरिक्त हैं। आधी जनसंख्या की आयु

एवं स्थिति इस योग्य है कि यदि उनमें उत्साह भरा जा सके और साधन उपस्थित किये जा सकें तो एक साल के भीतर ही वे शिक्षितों की गणना में गिने जाने योग्य हो सकते हैं। यदि ऐसा हो सके तो समझना चाहिए कि आधे राष्ट्र की बौद्धिक अंधता दूर कर दी गई। ज्ञान संपदा का द्वार खुलने से किसी के लिये सर्वतोमुखी प्रगति का पथ प्रशस्त होता है। कोई उस सुविधा का लाभ न उठाना चाहे यह दूसरी बात है।

गली-गली, मुहल्ले-मुहल्ले प्रौढ़ पाठशालाएँ स्वयंसेवी आधार पर खुलनी चाहिए। हर शिक्षित को विद्या ऋण चुकाने और शिक्षा विस्तार के लिए कुछ समय नियमित रूप से देते रहने का अनुरोध किया जाना चाहिये। कितने ही लोग ऐसे मिलेंगे, जो अपने बचे समय का इस प्रकार सदुपयोग करने में प्रसन्नता ही अनुभव करेंगे। उनके सामने कल्पना ही नहीं आई, किसी ने कहा नहीं, ऐसा कोई अवसर सामने नहीं था, इसी से वे इस दिशा में अब तक कुछ नहीं कर सके। अब जबकि अवसर सामने है और अनुरोध किया जा रहा है तो प्रसन्नतापूर्वक समय दे सकते हैं। इस प्रकार अध्यापकों की आवश्यकता बिना किसी प्रकार का खर्च किये-सेवा भावना जगा देने भर से सहज पूरी हो सकती है।

प्रौढ़ों को पढ़ने में संकोच हो सकता है, व्यस्तता का तो बहाना है, वस्तुतः उसका कारण मनोवैज्ञानिक होता है। छोटे बच्चे जो कार्य करते हैं, जो पाठ पढ़ते हैं, उसी स्तर पर पहुँचने में उनके अहं को चोट पहुँचती है। इससे बचने के लिए वे इतनी आयु बीत जाने पर पढ़कर क्या करेंगे ? फुरसत नहीं, नौकरी थोड़े ही करनी है, जैसे बहाने बनाते और टालमटूल करते हैं। शिक्षा प्रचारकों का काम है उनके मन की आँखें खोलें और बतायें कि धन कमाने की तरह विद्या प्राप्ति के लिए आयु का कोई बंधन नहीं है। संसार के विज्ञ व्यक्ति मरते समय तक विद्यार्थी की मन-स्थिति में रहे हैं। प्रौढ़ पाठशाला के लिए स्थान, बिछावन, शिक्षण-उपकरण जैसी वस्तुएँ सेवाभावी लोग परस्पर मिल-जुलकर पूरी करते रह सकते हैं। विचारशील छात्र भी ऐसे साधन जुटाने में स्वेच्छा से ही योगदान

करते रह सकते हैं। पुरुषों के लिये रात्रि पाठशालायें और स्त्रियों को तीसरे प्रहर की पाठशालायें उपयुक्त रहती हैं। स्थानीय सुविधा और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रौढ पाठशालाओं के लिए अलग-अलग ढंग के प्रबंध हो सकते हैं। यह प्रबंध होने हर जगह चाहिए और जहाँ कहीं अशिक्षा का अंधकार फैला हो वहाँ से उसे भगाने के लिए व्यापक उत्साह जगाया जाना चाहिए।

पिछड़ी मनःस्थिति के लोग अपने बच्चों को भी स्थानीय स्कूलों में नहीं भेजते। छुटपुट काम कराने के लोभ में शिक्षा से वंचित रहने देते हैं। इन अभिभावकों को समझा-बुझाकर पढ़ने योग्य बच्चों को स्कूल भिजवाने के लिए शिक्षा प्रसार टोलियों को घर-घर पहुँचना चाहिये। स्कूलों में जगह कम हो तो उनका विकास-विस्तार करने के लिए अधिकारियों से अनुरोध करना चाहिए। जहाँ छोटी कक्षाओं तक स्कूल हैं, वहाँ अर्द्ध-कक्षा खुलवाई जाएँ—जहाँ नहीं हैं वहाँ पाठशाला खुले; इसके लिए सरकारी तंत्र से अनुरोध किया जाना चाहिए। जन स्तर पर अर्ध-सरकारी ढंग से भी विद्यालयों की आवश्यकता पूरी करने वाले प्रयास चल सकते हैं।

शिक्षित वयस्क स्वभावतः आगे की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, पर उनकी गृहस्थी की जिम्मेदारी सिर पर आने से स्कूली छात्रों जैसा समय निकाल नहीं पाते, इसके लिये उनकी सुविधा को देखते हुए रात्रि विद्यालयों का प्रबंध किया जाना चाहिये। प्रगतिशील देशों में ऐसी व्यवस्था सामान्य स्कूलों से भी अधिक है। शनिवार का आधा और रविवार का पूरा दिन इस प्रकार सप्ताह में डेढ़ दिन चलने वाले स्कूल वर्ष में पूरी पढ़ाई पढ़ा देते हैं। वयस्क व्यक्ति अपनी प्रौढ बुद्धि से, अपने उपयोगी विचारों से इतने से ही काफी ज्ञान वृद्धि कर लेते हैं। हर वर्ग के व्यक्ति अपने-अपने विषय की ज्ञान वृद्धि करते हुए क्रमिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। प्रतिदिन रात्रि को प्रायः दो घंटे चलने वाली पाठशालायें तो प्रौढों को उतना ज्ञान दे देती हैं, जितना कि सामान्य छात्रों को पूरे समय पढ़ने पर मिलता है। उपार्जन एवं गृह व्यवस्था का उत्तरदायित्व

कंधे पर आ जाने के कारण किसी की शिक्षा-अभिलाषा अपूर्ण न रहने पावे, इसके लिए व्यापक प्रबंध किये जाने चाहिये। साक्षरता के लिए चलाई जाने वाली आरंभिक पाठशालायें इसलिये निःशुल्क रखनी होती हैं कि उसमें पढ़ने वालों का उत्साह नहीं होता। यह कठिनाई शिक्षित छात्रों के सामने नहीं होती है, वे विद्या का महत्त्व समझते हैं और बिना किसी कठिनाई के पढ़ाई की फीस प्रसन्नतापूर्वक देते हैं। अधिक निर्धनों को किसी प्रकार की छूट देना यह अपवाद है और मानवी उदारता के साथ जुड़ने से पूरे भी होते रहते हैं। सामान्यतः उच्चस्तरीय प्रौढ़-शिक्षा फीस के आधार पर मजे में चल सकती है, आवश्यकता उसके उत्साहपूर्वक गठन की है। ऐसे ढाँचे जहाँ भी खड़े कर दिये जायेंगे, वहाँ प्रसन्नतापूर्वक चलने लगेंगे।

साक्षरता प्रसार की पाठ्य पुस्तकों में ऐसे विषय रखे जाँ—जो जीवनोपयोगी भी हों। व्यक्ति और समाज की समस्याओं तथा समाधानों पर प्रकाश डालते हों। भाषा ज्ञान के लिए आखिर कुछ तो पढ़ना-लिखना ही पड़ता है, इसमें यदि उपयोगी विषयों का भी समावेश बना रहे तो छात्रों को साक्षरता के साथ-साथ सद्ज्ञान का दुहरा लाभ मिलता रह सकता है। स्कूली छात्रों के लिए रात्रि पाठशालाएँ तथा छुट्टी के दिनों चलने वाले विशेष सत्र उनको स्कूली पढ़ाई में सहायता करने के अतिरिक्त महत्त्वपूर्ण विषयों की शिक्षा एवं व्यक्तित्व विकास की प्रबल प्रेरणा देते रह सकते हैं। इस प्रकार की सहायक शिक्षा उस कमी की पूर्ति कर सकती है, जिसका कि स्कूली पढ़ाई को दोष दिया जाता है।

२. कुटीर उद्योग

अपना देश छोटे देहातों में बिखरा हुआ है। निर्धन तथा अशिक्षित भी हैं। खेती पर अधिकांश लोग गुजारा करते हैं। छोटी जोतें होने तथा साधनों का अभाव रहने से उससे भी स्वल्प उपार्जन होता है। मजूरी भी प्रायः कृषि कार्य की ही मिलती है। बड़े कल-कारखाने शहरों में होते हैं और उनको सीमित श्रमजीवियों की

ही आवश्यकता रहती है। हर साल लाखों छात्र शिक्षा प्राप्त करके निकलते हैं और वे सभी नौकरी चाहते हैं। छुट-पुट व्यवसाय और कलाकौशल भी जहाँ-तहाँ मौजूद हैं। फिर भी श्रम शक्ति प्रायः आधी खाली रहती है। नितांत बेकारों की संख्या भी भयावह है, फिर जिनका आधा तिहाई समय बेकार रहता है, उनकी संख्या तो और भी बढ़ी हुई है। इन सबको काम मिल सके तो आर्थिक तंगी मिटे। बेकारी और गरीबी के सम्मिश्रण से जो समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, वे असंख्यों प्रकार के संकट एवं उपद्रव खड़े करती हैं। आजीविका के स्रोत खोलना आवश्यक है। इसके बिना अशिक्षा के समतुल्य ही भयावह बेकारी से छुटकारा मिल नहीं सकेगा। अपने देश में यह दो बड़े अभिशाप हैं, जिन्हें दूर करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी प्रयत्नों को कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए।

इस दिशा में प्रमुख उपाय कुटीर उद्योगों का ही हो सकता है। जापान की अर्थव्यवस्था इसी आधार पर सुदृढ़ बनी हुई है। वहाँ घर-घर में छोटी मशीनें हैं, उनसे किसी बड़े उद्योग का एक माल तैयार किया जाता है। टुकड़ों-टुकड़ों में वस्तुएँ बनती रहती हैं। उन्हें मिलाकर एक पूरी चीज बन जाती है। सभी निर्माताओं को सुविधा रहती है, कुशलता भी बढ़ती है और सरलता भी रहती है। ऐसे उत्पादन सस्ते पड़ते हैं, निर्यात होते हैं और देश की संपदा बढ़ाते हैं।

अपने देश में भी अपने ढंग की आवश्यकताओं के अनुरूप कुटीर उद्योगों का प्रचलन होना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन होने की सुविधा और खपत की आवश्यकता रहती है। साधनों के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न कुटीर उद्योग हो सकते हैं। साधारणतया भोजन के बाद दूसरा नंबर वस्त्र का है। कृषि-पशुपालन तो प्रायः एक साथ जुड़े हैं। दूसरे नंबर का वस्त्र उद्योग है। कपास ओटने से लेकर कपड़े सीने, धोने तक की अनेकों गतिविधियाँ इस उद्योग में वांछित हैं, जिससे करोड़ों को आजीविका मिल सकती है। छोटे-बड़े असंख्यों ऐसे उद्योग हैं, जो

हाथ से अथवा छोटी-बड़ी मशीनों की सहायता से सर्वत्र चल सकते हैं। बिजली का उत्पादन जैसे-जैसे बढ़ेगा—कुटीर उद्योगों का उपार्जन उसी अनुपात से अधिक मात्रा में तथा अधिक ऊँचे स्तर का बढ़ता चला जायेगा।

कुटीर उद्योगों की असफलता का एक बड़ा कारण यह है कि पूँजी लगाने, कच्चा माल खरीदने, उत्पादन तैयार करने और बेचते जाने के सारे उत्पादक को ही करने पड़ते हैं। इससे उनका लाभांश न्यूनतम रह जाता है और गुजारा न होने से उसे छोड़ना पड़ता है। कुटीर उद्योग पूर्णतया सहकारी समितियों के माध्यम से चलने चाहिए। पूँजी लगाने, कच्चा माल देने और तैयार को खरीदने का कार्य वे ही करें। उत्पादक निश्चित होकर अपने काम में लगा रहें। थोक में कच्चा माल खरीदने और उपयुक्त मंडी में बेचने की व्यवस्था बनने पर ही कुटीर उद्योग पनप सकते हैं। कारीगरों को अधिक उत्तम उत्पादन की शिक्षा, यंत्रों को सुलभ करना, टूट-फूट की मरम्मत जैसे साधन आदि मिलते रहें, तभी कुटीर उद्योग पनपेंगे।

जन-जन में स्वतंत्रता आंदोलन जैसी भावना का पुनर्जीवन अब इस प्रकार किया जाना चाहिए कि कुटीर उद्योग के उत्पादन का उपयोग देशभक्ति जैसा आदर्शवादी एवं सराहनीय कदम माना जाय। बड़ी मिलों का वही उत्पादन काम में तभी आये, जो कुटीर उद्योग से बना हुआ न मिलता हो। स्वदेशी आंदोलन जैसी इस भावना को जगाने का आलस्य छोड़कर श्रम संलग्न होने की इन दिनों अतीव आवश्यकता है। गरीबी और बेकारी की मुहीम से जूझने का यह मोर्चा पूरी तत्परता के साथ संभाला जाना चाहिए। इसके लिए स्थान-स्थान पर सहयोग समितियाँ बनें और उनका संचालन कुशल एवं ईमानदार लोगों के हाथों में बना रहे। बड़े मिलों का क्षेत्र बाँट दिया जाए, नहीं तो कुटीर उद्योग इनकी प्रतिस्पर्धा में ठहर नहीं सकेंगे। ढेरों उत्पादन ऐसे हैं, जिन्हें कुटीर उद्योगों में नहीं बनाया जा सकता, उन्हें बड़े मिल बनाया करें। निर्यात करने के लिए वे चाहे जैसा माल बना सकें, पर देश की

अधिकांश आवश्यकता छोटे-छोटे उत्पादन घटक ही पूरी करते रहें। इस प्रकार शिक्षितों और अशिक्षितों में दिन पर दिन बढ़ने वाली बेकारी पर अंकुश किया जा सकेगा और आर्थिक प्रगति का एक सामर्थ्यवान् आधार खड़ा हो सकेगा। इस उत्कर्ष में सरकार का परमुखापेक्षी होने के बजाय यही उचित है कि इस प्रयास को आगे बढ़ाने में लोकसेवा की भावना से कटिबद्ध हुआ जाए। माना कि यह औद्योगिक प्रक्रिया है और इसमें प्रत्यक्षतः कोई परोपकार-परमार्थ जैसी बात नहीं दिखती, फिर भी इतना तो स्पष्ट है कि इससे व्यक्ति और समाज को सुखी-समुन्नत होने की भावना मिलेगी और बेकारी से उत्पन्न होने वाली असंख्यों विकृतियों का निराकरण हो सकेगा। इस प्रक्रिया का प्रचलन और उसका ढाँचा खड़ा करना तो सेवाभावी प्रतिभाओं के आगे बढ़कर उत्साह दिखाने से ही संभव हो सकता है।

३. सहकारिता

मनुष्य-मनुष्य के बीच सामाजिक एवं आत्मिक सघन सहयोग स्थापित करने के सभी सूत्रों को सजग करना होगा। विलगाव से असंख्य समस्याएँ उत्पन्न होती हैं और मिल-जुलकर काम करने की, मिल-बाँटकर खाने की उदार सहकारिता जब पनपेगी तब ही प्रस्तुत विपत्तियों और आशंकाओं का आत्यंतिक निराकरण होगा। अस्तु, इस प्रवृत्ति को पनपाने के लिए हमें जो भी, जहाँ भी आधार मिल सके, उसे अपनाने में उत्साह दिखाना चाहिए। अध्यात्म की भाषा में इसे आत्म विस्तार कहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम् के महान् आदर्श का प्रत्यक्ष रूप उदार सहकारिता के रूप में देखा जा सकता है। आत्मीयता के तत्त्वदर्शन का अभिवर्धन ऐसे ही प्रयासों से संभव होता है। राजनीति की भाषा में इसी को समाजवाद कहा जाता है। वस्तुतः इन सब क्रिया-प्रक्रियाओं के बीच पारिवारिक सहकारिता का सिद्धांत ही काम करता है।

नवयुग में हर प्रवृत्ति को सहकारिता के आधार पर विकसित किया जाना है। इसके लिए सर्वप्रथम आर्थिक सहयोग को माध्यम

बनाकर चला जाए तो तत्कालीन लाभ भी मिलेगा और आकर्षण एवं उत्साह भी उभरता दृष्टिगोचर होगा। सरकारी सहकारिता विभाग अपने ढंग से काम करता है। इसके प्रयास से जगह-जगह सहकारी समितियाँ गठित होती हैं और उनके माध्यम से क्रय-विक्रय के, उत्पादन निर्माण के कार्य हाथ में लिए जाते हैं। ऋण दिये जाने और कई प्रकार के सुविधा-साधन मिलते हैं। हमें अपना पूरा-पूरा सहयोग इस विभाग को देना चाहिए। यहाँ इन पंक्तियों में यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि, कहाँ, किस तरह इसका आरंभ किया जाय और किस तरह उन्हें बढ़ाया जाए ? इस संदर्भ में स्थानीय सहकारिता विभाग से संपर्क स्थापित करके, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कई प्रकार के काम हाथ में लिये जा सकते हैं। इस आधार पर उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर अच्छी वस्तुएँ सुविधापूर्वक मिलने का अवसर मिलता है। लाभान्श भी सदस्यों की सामूहिक संपत्ति रहती है और उससे अन्य प्रकार के सर्वोपयोगी कार्यों का विकास हो सकता है।

परिवार व्यवस्था वस्तुतः एक सहकारी समिति ही है। संयुक्त परिवार में रहने से छोटे-बड़े, समर्थ-असमर्थ किस प्रकार प्रेमपूर्वक निर्वाह और प्रगति करते हैं—यह प्रत्यक्ष है। अधिकार, कर्तव्य, आचार-मर्यादाओं तथा नीति-नियम की विधि व्यवस्था न रहने से आज के परिवार गड़बड़ाते और मनोमालिन्य के केंद्र बनते हैं। औचित्य और विवेक का, आदर्श और अनुशासन का, अधिकार और कर्तव्य का समन्वय करते हुए यदि पारिवारिक नीति-नियम बन सके और उनके पालन करने का क्रम चल सके तो सहकारी संयुक्त परिवारों में रहने का आनंद हर किसी को मिल सकता है। निकट भविष्य में काम के आधार पर बनने वाले आज के परिवार निकटवर्ती लोगों की सुविधा के लिए वृहत्तर परिवार बनेंगे। इन्हीं को युवा मनीषी 'लार्जर फैमिली' नाम देते हैं। एक मुहल्ले के लोग संयुक्त योजना का संयुक्त रूप से बच्चों का खिलाने का, कपड़े धोने, आवश्यक वस्तुएँ खरीदने का मिलाजुला प्रबंध करेंगे। इससे समय की भारी बचत होगी और उसका उपयोग ऐसे ही झुटपुट

कामों में दिन गुजारते रहने की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण कार्यों में किया जा सकेगा। सुयोग्य व्यक्ति अधिक मूल्यवान् काम कर सकें तो रसोई, बच्चे खिलाना, धुलाई, सफाई जैसे सामान्य कार्यों में कम योग्यता वाले बेकारों को रोटी रोजी का नया मार्ग मिल सकेगा।

पुस्तकालय, व्यायामशाला, सेवादल, कीर्तन मंडलियों जैसी स्वयंसेवी संस्थायें भी सहकारी प्रयास ही हैं। सरकारी पंचायतों तथा जाति बिरादरी की पंचायतों को भी सहकारी संगठन ही कहा जा सकता है। सत्प्रयोजनों के लिए अनेकों प्रयत्न संगठित रूप से चलते हैं या चल सकते हैं। इनसे प्रत्यक्ष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहकारिता की भावना का संवर्धन करते हैं।

समाजवादी एवं साम्यवादी देशों की कल्पना में सरकार की रूपरेखा एक बड़े कुटुंब जैसी है। जिसमें हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य भर श्रम करे और आवश्यकता भर प्राप्त करे। संपत्ति व्यक्ति के पास नहीं—सरकार के पास संयुक्त संपदा के रूप में सुरक्षित रहे। मौत, बुढ़ापा, बीमारी, बच्चों की शिक्षा एवं आड़े वक्त के लिए लोग धन संग्रह करते हैं, जब उस उत्तरदायित्व को सरकार ही वहन करने के लिए तैयार हों, तो पूँजी के संग्रह की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। अनावश्यक संचय से दुर्व्यसन, चोरी, डकैती, शोषण, हरामखोरी, ईर्ष्या, द्वेष जैसी अनेकों अहंमन्यता, फिजूलखर्ची जैसी अनेकों दुष्प्रवृत्तियाँ फैलती हैं। इन्हें रोकने-पकड़ने में जो शक्ति खर्च होती है, उसकी अब अनावश्यक संग्रह न होने से कोई आवश्यकता न रहेगी। जब अपराधों के लिए सबसे बड़ा कारण धन संचय न रहेगा, तो आवेश-अपमान जैसे छुट-पुट कारण ही पारस्परिक विद्वेष के कारण रह जायेंगे। उनसे निपटना तो हँसी खेल जैसा सरल बन जायेगा। सहकारी समाज की स्थापना में आज की तीन चौथाई समस्याओं के समाधान मौजूद हैं। अस्तु, उसका अभ्यास मानवी स्वभाव का अंग बना लेने के लिए जो भी, जिस क्षेत्र में भी, नैतिक अवसर प्राप्त हों, उन्हें अपनाते के लिए किसी को सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। सामूहिक श्रमदान से, अंशदान से लोकोपयोगी कार्य करते रहने को एक उपयोगी

मनोरंजन के रूप में विकसित किया जा सकता है। खेलकूद की टीमों उत्साहपूर्वक चलती रह सकती हैं, तो कोई कारण नहीं कि लोकोपयोगी सेवाभावी सत्प्रवृत्तियाँ सहकारिता के आधार पर न चल सकें। संघशक्ति की गरिमा किसी से छिपी हुई नहीं हैं। सहकारिता और संघशक्ति प्रकारांतर से एक ही लक्ष्य के दो नाम हैं।

वर्ग, क्षेत्र, उद्योग आदि में काम करने वाली सहयोग वृत्ति को क्रमशः विश्व एकता की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। यदि दृष्टिकोण में से व्यक्तिवादी संकोर्ण स्वार्थपरता घट सके तो वसुधैव कुटुंबकम् की व्यापक आत्मीयता के विकास-विस्तार में कोई कठिनाई न रह जायेगी। भाषा, संस्कृति एवं देशों की विभाजन रेखाएँ तोड़ी जा सकें, तो संसार का स्वरूप ही बदल सकता है।

४. जीवन साधना

शिक्षा, उपार्जन, चिकित्सा, कुशलता, संघर्ष, विनोद, विज्ञान, दर्शन आदि विविध विषयों की जानकारियाँ विद्यालयों, परामर्शों एवं अनुभवों के आधार पर मिलती रहे, ऐसी व्यवस्था बहुत पहले से ही बनी हुई है और उसमें क्रमशः वृद्धि हो रही है। शासनतंत्र और अर्थतंत्र मिल-जुलकर व्यक्ति और समाज की उन्नति के लिए अपने ढंग से सोचते और करते रहते हैं। अपराध निवारण एवं न्याय संरक्षण के लिए भी प्रयत्न किये गये हैं। सुविधा संवर्धन के लिए संचार, परिवहन जैसे विद्युत् उत्पादन तक के असंख्य उपाय काम में लाये जाते हैं। धर्म और अध्यात्म के नाम पर बहुत कुछ होता रहता है। प्रगति और सुविधा के लिए बरते जाने वाले इन असंख्य उपायों के रहते हुए भी एक कमी बुरी तरह खटकती है कि जीवन जीने की कला का न तो कोई विधिवत् तत्त्वदर्शन निर्धारित किया गया है और न इसमें आने वाले उतार-चढ़ावों के साथ तालमेल बिठाने की कोई क्रमबद्ध शिक्षा पद्धति बन सकी है। फलतः मनुष्य अपनी जीवन संपदा का स्वरूप, उत्तरदायित्व, उपयोग एवं सुसंचालन में से एक को भी ठीक तरह जान नहीं पाता है। अनगढ़ स्तर होने पर सौंपे हुए छोटे-छोटे कार्य तक जब पूरे नहीं हो सकते

तो असीम क्षमताओं और संभावनाओं से भरे-पूरे मानव जीवन का सही उपयोग बन ही कैसे पड़ेगा ? छोटे-छोटे कार्यों के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। अन्यथा कोई महत्त्वपूर्ण प्रतिभासंपन्न होने पर भी कपड़ा सीने जैसे सामान्य कार्य तक को कर सकने में असफल रहेगा। काम को हाथ में लेते समय उस संदर्भ में आवश्यक जानकारी और कुशलता प्राप्त करने की आवश्यकता समझी जाती है, किंतु जीवन क्षेत्र का दुर्भाग्य ही है कि इतने बड़े तंत्र संचालन का उत्तरदायित्व संभालने के लिए अभी तक कोई विधिवत् व्यवस्था करने की बात सोची तक नहीं जा सकी। उस प्रशिक्षण का ढांचा खड़ा करना तो हो ही कैसे सकता था ?

मोटर चलाने के लिए ड्राइवरी सीखनी पड़ती है। अनाड़ी व्यक्ति चलाने लगेगा तो दुर्घटना ही करेगा। उस बहुमूल्य यंत्र को तोड़कर रख देगा और अपने लिए संकट खड़ा करेगा। मोटर से जो लाभ उठाया जा सकता था, उसे उठाने के स्थान पर हर प्रकार की हानि ही उठावेगा। किसी वस्तु का मिल जाना ही सौभाग्य नहीं, उसका सदुपयोग भी आना चाहिए। अन्यथा दुरुपयोग होने पर तो माचिस की एक तीली तक समूचे घर, मुहल्ले को जलाकर खाक कर देने की स्थिति खड़ा कर सकती है। जीवन संपदा के संबंध में भी यही बात कही जा सकती है। आज का मनुष्य अपने आप में अभावों, उलझनों और विपत्तियों का केंद्र बनकर रह रहा है। न संतोष है, न चैन, न उमंग, न उत्साह। नीरस, खिन्न और उद्विग्न मनःस्थिति में रहते हुए लोग जिंदगी की लाश ढोते और मौत के दिन पूरे करते पाये जाते हैं। उत्तम वस्तु भी सड़ने पर विषाक्त हो जाती है। जिंदगी सड़ती है तो नारकीय दुर्गंध उत्पन्न करती है। मनुष्य जब अव्यवस्थित होता है तो पशु या पिशाच बनता है। उद्धत मनःस्थिति से की गई क्रिया कर्ता के लिए और संबद्ध व्यक्तियों के लिए पग-पग पर संकट ही उत्पन्न करती रहती है। जीवन कला से अपरिचित व्यक्ति उसका संचालन करते हैं तो स्पष्ट ही अनाड़ी मोटर ड्राइवर के प्रयत्न से जिस प्रकार लाभ के स्थान पर हानि ही होती है, उसी प्रकार मनुष्य जीवन,

जीने वाले के लिए उसके संपर्क में आने वालों के लिए अभिशाप ही सिद्ध होता रहता है।

प्राचीनकाल में धर्म के आधार पर बाह्य जीवन में लोक व्यवहार की शिक्षा दी जाती थी और नैतिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का बोध कराया जाता था। इसे शिष्टाचार, सदाचार, सद्व्यवहार, कर्तव्यपालन आदि नाम दिये जा सकते हैं। सभ्यता नाम दिया जा सकता है। उन दिनों दृष्टिकोण के परिष्कार, आस्थाओं के निर्धारण एवं आशंकाओं के दिशा नियोजन का कार्य अध्यात्म-के तत्त्वदर्शन द्वारा होता था। कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग की तीनों धाराएँ मिलकर व्यक्ति के अंतःक्षेत्र को उच्चस्तरीय बनाती थीं। इस प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए योग एवं तप की आत्म साधना की जाती थी। स्वाध्याय, सत्संग, मनन और मंत्रणा के लिए सामग्री उपस्थित करने वाली ब्रह्म विद्या का विकास-विस्तार इसीलिए निर्मित होता था। इस अंतःस्थिति की परिष्कृति को संस्कृति कहा जाता है। जिसे आज सभ्यता एवं संस्कृति कहा जाता है, इसी को प्राचीनकाल में धर्म एवं अध्यात्म का नाम दिया जाता था। आज यों कहने को तो धर्म के भी ढोल पिटते हैं और अध्यात्म की भी ध्वजा फहराती है, पर भीतर से सब कुछ खोखला हो गया। जीवन में प्रखरता और उत्कृष्टता भर देने वाले तत्त्व उनमें से प्रायः निकल ही गये हैं। कलेवर का ढकोसला कागज और खपच्चियों की सहायता से बने रामलीला का कौतूहल पूरा करने वाले रावण की तरह जनसाधारण के लिए एक अजूबा भर बना हुआ है। इससे बन कुछ नहीं सकता है। धूर्तों को अधिक धूर्त और मूर्खों अधिक मूर्ख बनाने के लिए इस ढकोसले की आड़ में प्रश्रय-पोषण अवश्य मिल रहा है।

यह तो विवेचनात्मक चर्चा हुई। यह तो पर्यवेक्षण भर हुआ। इतने से काम कुछ नहीं चलेगा। बात तो आज की आवश्यकता पूरी करने की है। जीवन विद्या का एक स्वतंत्र शास्त्र है, इसे अति महत्त्वपूर्ण विज्ञान कहा जा सकता है। इसकी उपयोगिता एवं आवश्यकता इतनी बड़ी है कि उसे हर जीवित रहने वाले मनुष्य

को अनिवार्यतः सीखना ही चाहिए। इसकी शिक्षा छोटे बालकों से लेकर मरणासन्न स्थिति तक पहुँचने वाले हर व्यक्ति के लिए उसकी स्थिति के अनुरूप मिलती रहनी चाहिए। वह मात्र बौद्धिक ही न हो, व्यवहार का समावेश भी उसमें बना रहना चाहिए। दर्शन के साथ विज्ञान का, चिंतन के साथ क्रिया का समावेश होने से एक ही पूरी बात बनती है। जीवन साधना की शिक्षा का ऐसा स्वरूप होना चाहिए, जो कथा-श्रवण तक सीमित न रहकर उसे व्यवहार में उतारने की विधि व्यवस्था का एक क्रमबद्ध स्वरूप प्रस्तुत करता हो। साथ ही अनगढ़पन का परिचय देने वाले को जो दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं, उनकी जानकारी भी देता हो। इसी का एक पक्ष यह भी है कि शालीनता अपनाने पर अपनी और संबद्ध क्षेत्र की प्रगति एवं सुख-शांति का पथ कैसे प्रशस्त होता है ? यह सब गले उतारना घटना क्रम के सहारे ही संभव हो सकता है। इसलिए स्पष्ट है कि जीवन साधना का प्रशिक्षण, चिंतन और व्यवहार की ऐसी ही विधि-व्यवस्थाओं को साथ लेकर चलना होगा। उसमें श्रव्य और दृश्य दोनों ही मिले हुए हों। समझाने भर की ही बात हो तो भी उसमें उदाहरणों, घटनाओं, कथानकों और संस्मरणों की भरमार रहनी चाहिए। इनका स्तर हर व्यक्ति की आयु एवं स्थिति के अनुरूप बनाना पड़ेगा। हर किसी के लिए एक जैसी शिक्षा बना देने से बात बनेगी नहीं।

आज नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र, नागरिकशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, अध्यात्मशास्त्र के अनेक ग्रंथ बाजार में मिलते हैं और उन विषयों के चर्चा प्रसंग भी चलते रहते हैं, पर एक ही लाठी से सबको हॉका जाता है। यह ध्यान नहीं रखा जाता है कि किस वर्ग के व्यक्ति के लिए क्या उपयोगी है ? इसलिए बहुत कुछ कहा, लिखा जाने पर भी वह एक प्रकार से अधिकांश अन्य लोगों के लिए अरुचिकर एवं अप्रासंगिक कर ही रह जाता है। जीवनशास्त्र आत्मिक और भौतिक विज्ञान का सबसे बड़ा शास्त्र है। इसका निर्माण-निर्धारण इस प्रकार होना चाहिए कि हर वर्ग का मनुष्य अपने लिए सोचने और करने के लिए सही दिशा धारा प्राप्त कर

सके। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य इस जीवन शिक्षा से ही संभव हो सकता था, पर दुर्भाग्य इस बात का है कि युग की मूर्धन्य विचारशीलता इस अति महत्वपूर्ण पक्ष की उपेक्षा ही करती चली आ रही है, जबकि बौद्धिक क्षेत्र के सृजनात्मक उत्पादनों में सर्वप्रथम इसी लक्ष्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए था। इस विषय पर जो पुस्तकें बाजार में मिलती हैं, वे इतनी कम और इतनी उथली हैं कि औसत भारतीय जनता की विशेष मनःस्थिति और परिस्थिति का उसे साथ कोई व्यवहारिक तालमेल नहीं बैठता। सिद्धांतों की विवेचना मात्र से संतुष्ट हो जाने वालों को भले ही उनसे कुछ समाधान मिल सके। आज तो ऐसे जीवनशास्त्र की आवश्यकता है, जो युग प्रवाह के साथ तालमेल बिठाते हुए व्यक्ति को अधिक परिष्कृत और समाज को अधिक समुन्नत बनाने की आवश्यकता पूरी कर सके। दर्शन और व्यवहार की दोनों धाराओं में समाहित जीवनशास्त्र का सृजन और प्रशिक्षण अपने समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। युग परिवर्तन की दृष्टि से इस प्रयास को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

आरंभ से इस प्रशिक्षण के चार संदर्भ हाथ में लेकर चला जा सकता है। (१) स्वास्थ्य, (२) गृह परिवार, (३) लोक व्यवहार, (४) चिंतन। यह ऐसे विषय हैं जिन्हें जीवन विद्या के अनिवार्य पक्ष कहा जा सकता है।

स्वास्थ्य शिक्षा के लिए मौटेतौर से व्यायाम, खेलकूद, प्राकृतिक चिकित्सा, आहार-विहार, फर्स्टएड, परिचर्या, संयम जैसे विषयों की जानकारी देने एवं अभ्यास करने का प्रबंध रहना चाहिए।

परिवार में विवाह, दांपत्य जीवन, प्रजनन, शिशुपालन, स्वच्छता-व्यवस्था, श्रम-विभाजन, सुविधा-सहकार, अधिकार और कर्तव्य, पुरानी, मध्यवर्ती एवं भावी पीढ़ियों के बीच तालमेल, अर्थ संतुलन, शिष्टाचार, टूटू-फूट की मरम्मत, उलझनों का समाधान, मनोभ्रांतियों का निराकरण, भ्रमों का निवारण, स्नेह-सद्भाव का वातावरण, विकृतियों का परिमार्जन, आतिथ्य, अनुदान जैसे कितने

ही महत्त्वपूर्ण विषयों का इस प्रसंग में समावेश होना चाहिए। इन प्रयोजनों को कैसे, किस प्रकार अपनाकर उनका निर्वाह करता है ? उसकी व्यवहारिक जानकारी उसे मिलनी चाहिए।

शालीन लोक-व्यवहार का आरंभिक प्रशिक्षण की पाठशाला से ही शुरू होता है, किंतु उसका विस्तार नागरिक कर्तव्यों और सामाजिक उत्तरदायित्वों के रूप में क्रमशः बढ़ता ही चला जाता है। दूसरों के सम्मान एवं अधिकार की रक्षा करते हुए हम अपना पक्ष कैसे प्रस्तुत करें ? यह एक ऐसी कला है, जिसके न जानने से ही गलतफहमियाँ उत्पन्न होती हैं और झंझट खड़े होते हैं। अपना पक्ष दूसरों की गरिमा को बिना आघात पहुँचाये यदि प्रस्तुत किया जा सके तो इससे गुत्थियाँ उत्पन्न ही न होने पावेंगी, यदि होंगी भी, तो सरलतापूर्वक निबट भी जावेंगी। ईमानदारी, समय का पालन, आवश्यकता की पूर्ति, उत्तरदायित्वों का निर्वाह, मानवीय मर्यादाओं की रक्षा जैसे तत्त्व को ध्यान में रखते हुए यदि दूसरों के साथ व्यवहार करने की संतुलित नीति अपनाई जा सके तो उसका प्रभाव पारस्परिक सौजन्य की रक्षा ही नहीं, अभिवृद्धि में भी सहायक हो सकता है। मधुर वाणी से लेकर स्नेहसिक्त व्यवहार की अनेकों विशेषताएँ ऐसी हैं, जिन्हें स्वभाव का अंग बना लेने पर स्वयं प्रसन्न रहने और दूसरों को प्रसन्न रखने के अवसर पग-पग पर प्राप्त होते रह सकते हैं। यह अभ्यास कैसे डाला और अनगढ़ मन को कैसे बहलाया जा सकता है ? इसे जीवन-साधना का शिष्टाचार पक्ष कह सकते हैं।

चिंतन में जीवन दर्शन के अध्यात्मवाद के सभी तथ्य सम्मिलित हैं, जिसमें जीवन की गरिमा, उसके साथ जुड़ी हुई ईश्वरीय इच्छा, पूर्णता प्राप्त करने का लक्ष्य, स्वर्ग, मुक्ति, सद्गति एवं दिशा प्राप्ति की सुनिश्चितता, मनःस्थिति के अनुरूप परिस्थितियाँ बनने का लक्ष्य, जैसे दार्शनिक सिद्धांतों में दार्शनिकता का समावेश होता है। विकृत व्यक्तिवाद के सहारे लाभ को पाने की आशा में असीम क्षति उठाते रहने का भ्रम जंजाल, परिष्कृत चिंतन के सहारे ही अपने नंगे रूप में सामने आ सकता है, अन्यथा

जीवात्मा को एक संकीर्ण स्वार्थपरता के ताने-बाने से बुने गये भव-बंधनों में ही पिसते-सड़ते समय काटना पड़ता है। प्रसन्न, संतुष्ट, उल्लसित और आशान्वित रहने का आनंद स्वस्थ चिंतन के सहारे ही मिल सकता है। यदि वह जाना जा सके तो असीम मनोकामनाओं की अतृप्ति में भटकने वाला जीवात्मा हर घड़ी आनंद पाता और उल्लास बाँटता देखा जा सकता है। चिंतन का परिष्कार, उच्चस्तरीय दृष्टिकोण का निर्धारण इतना बड़ा आधार है कि उसके मिल जाने पर सर्वतोमुखी प्रगति का द्वार खुलता है और जीवन का हर क्षण स्वर्गीय सुख की अनुभूति में बीतता है। इसके लिए विचार विज्ञान का उत्कृष्टतावादी पथ जनमानस में गहराई तक प्रतिस्थापित कराया जाना चाहिए। तत्त्वदर्शन का व्यवहारिक पक्ष जीवन साधना के चिंतन पक्ष की आवश्यकताएँ पूर्ण करता है।

जीवन साधना की शिक्षा के यह चार पक्ष ऐसे ही हैं, जिनके लिए न केवल ज्ञान संपदा का उत्पादन होना चाहिए, वरन् उसके प्रशिक्षण की स्कूली अथवा स्वेच्छा सेवा जैसी व्यवस्था व्यापक रूप से बननी चाहिए, जिसका लाभ हर किसी को, हर कहीं मिलना संभव हो सके। मनुष्य को मानवी गरिमा के अनुरूप बनाना युग परिवर्तन का आधार है। इसके लिए जीवन साधना की शिक्षा का सुनियोजन किया जाना चाहिए।

श्रम सेवा

नव निर्माण के रचनात्मक कार्यक्रमों में पाँचवा है—श्रम सेवा। इस स्वच्छता संवर्धन और हरीतिमा उत्पादन के दो प्रयोजनों को प्राथमिकता दी जा सकती है। अपने देश में गरीबी और अशिक्षा के उपरांत तीसरी लानत अस्वच्छता-व्यापकता के रूप में देखी जा सकती है। इसका कारण आलस्य, प्रमाद, पिछड़ापन आदि भी हैं। जिधर भी दृष्टि डाली जाये उधर ही अस्वच्छता का साम्राज्य छाया देखा जा सकता है। घरों में कपड़े, बर्तन, खाद्य पदार्थ, उपयोग के उपकरण आदि अस्त-व्यवस्तता कोने-कोने में कूड़े-कचरे का ढेर जैसा बनाये रहते हैं। नाली, स्नानघर, शौचालय तो एक प्रकार से

नर्क ही बने रहते हैं। शरीर पर पहनने आदि के कपड़ों तक से स्वच्छता के अभाव में कुरूपता और दुर्गंधि उभरती रहती है।

सार्वजनिक स्थानों पर जहाँ-तहाँ मल-मूत्र, पानी-कीचड़, कूड़े-कचरे के ढेर सड़ते हुए देखे जा सकते हैं। स्वास्थ्य और सुमति दोनों ही दृष्टि से गंदगी का यह साम्राज्य हम सबके लिए कलंक की बात है। हममें से प्रत्येक को गंदगी-निवारण और स्वच्छता संवर्धन की दृष्टि रखनी चाहिए और जहाँ भी जायें वह व्यक्तिगत रूप से तथा साथियों की सहायता से स्वच्छता बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये। इससे सामाजिक समृद्धि तो होती है, इस दिशा में सोचने और करने के लिए भी दूसरों को प्रकाश मिलता है। जहाँ संभव हो सामूहिक श्रमदान से गली-मुहल्ले, रास्ते एवं सार्वजनिक स्थानों की सफाई के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाने चाहिए। इस प्रकार से स्वच्छता के पक्ष में लोक दृष्टि तो उत्पन्न होगी, लोगों की गंदगी न करने एवं उसे हटाने की दृष्टि उत्पन्न होगी। यह दृष्टि सुरुचि-संवर्धन के ऐसे बीजांकुर भी उत्पन्न करेगी, जिससे सुगति की आधारभूत आवश्यकता, सुव्यवस्था के, उज्ज्वल भविष्य के परोक्ष निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देखे जा सकें।

शिक्षा धन हर किसी के पास हो या न हो, श्रम करने वाला शरीर तो हर किसी के पास होता है। स्वच्छता अभियान में श्रम साधन जुटाने भर से बहुत काम बन सकता है। गंदगी-निवारण निषेधात्मक पक्ष है। विधेयात्मक पक्ष के रूप में हरितिमा संवर्धन को कहा जा सकता है। सर्व विदित है कि पेड़-पौधे ही जीवन निर्वाह की तीन चौथाई आवश्यकता पूरी कर सकते हैं। हरितिमा घटाने से अन्न, जल एवं वायु की मात्रा एवं उत्कृष्टता घटती है। इससे स्वास्थ्य संकट ही उत्पन्न नहीं होता, जीवन क्षेत्र का अवरोध भी उठ खड़ा होता है। हरितिमा शोभा सुरुचि की दृष्टि से प्रकृति का सर्वोत्तम उपहार है। उसकी समीपता से सौंदर्य का स्वाभाविक आनंद मिलता है। आर्थिक और भौतिक लाभ तो उनसे अनेकों हैं।

जहाँ भी उपयुक्त स्थल हों, फलों की, छाया की, लकड़ी की आवश्यकता पूरी करने वाले पेड़ लगाने का अवसर तलाश करते रहना चाहिए। घर-आंगन को फूल, बेल, घास की हरितिमा से सुसज्जित रखने की आदत पड़नी चाहिए। पक्के घरों में भी टोकरियों, गमलों, लकड़ी की पेटियों, घड़ों के पेंदे आदि में शाक-भाजी बोई जा सकती हैं। इससे शिशुपालन, पशुपालन जैसा आनंद मिलता और सृजन का स्वभाव पनपता है। अपने श्रम से उगाई हुई शाक-भाजी अपना अनोखा ही स्वाद और आनंद प्रदान करती है। अपने देश की बढ़ती हुई आबादी में खाद्य संकट आये दिन खड़ा रहता है। प्रायः विदेशों से अन्न मँगाने की आवश्यकता पड़ती रहती है। अधिक खाद्य उत्पादन के लिए किसान से लेकर हर किसी की दृष्टि रहनी चाहिए। जोत की जमीन के अतिरिक्त निजी उपयोग में जहाँ जिसके पास जितनी भूमि हो, उसका उपयोग खाद्य उत्पादन के लिए होना चाहिए। फूल बेलों को तो शोभा-सज्जा में ही गिना जायेगा, पर फलदार वृक्षों से लेकर शाक-भाजी और अनाज तक सभी को खाद्य में गिना जा सकता है। इस दिशा में व्यक्तिगत प्रयत्नों से लेकर सामूहिक श्रमदान तक के जहाँ जो भी प्रयत्न बन पड़ें उनके लिए उत्साहपूर्वक प्रयत्न चलने चाहिए।

श्रमदान सर्व सुलभ और हर स्थिति के लिए सरल संभव है। सृजन की दृष्टि चलने पर हर मनुष्य को कुछ न कुछ करना ही होगा। अन्य प्रयत्नों में योग्यता, भाव साधना आदि की कठिनाई आ सकती है, पर श्रमदान तो अकेले ही करते रहा जा सकता है। कई मिलकर सामूहिक रूप से जुट सकें तो सोने में सुगंधि की उक्ति चरितार्थ हो सकती है। शोधन एवं अभिवर्धन की दृष्टि से तथा प्रवृत्ति ही नवयुग की आधारशिला होगी। उसे श्रमदान जैसे छोटे कार्यों से आरंभ किया जा सकता है और प्रगति के उच्च शिखर पर पहुँचा जा सकता है, जहाँ व्यक्ति को देवत्व से सुसज्जित और समाज को स्वर्गीय समृद्धि से सुसंपन्न देखा जा सके।

मुद्रक-युग निर्माण योजना प्रेस, मथुरा।